खण्ड–500, अंक–1
सोमवार 25 वैशाख, शक संवत् 1939
(15 मई, 2017 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

—: 0 :—

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2017)

(खण्ड 500 में 10 अंक है)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2017

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
सत्रहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची, महामहिम श्री राज्यपाल, मंत्रि–परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची .	1–12
उपस्थिति सदस्य .	13–18
राष्ट्रीय गीत .	19
श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ .	19–59
सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) .	60
राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2016 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) .	60
उत्तर प्रदेश विनियोग (2016–2017 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2016 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) .	60
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2016 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) .	60
सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) .	60–61
राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2016 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) .	61
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत) .	61–62
उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर विधेयक, 2017 (पुरःस्थापित) .	62

उत्तर प्रदेश विधान सभा
सत्रहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची

1. अक्षयवर लाल, श्री बहराइच
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
3. अजय कुमार, डॉ0 इलाहाबाद
4. अजय कुमार लल्लू, श्री कुशीनगर
5. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री बस्ती
6. अजय प्रताप सिंह ''लल्ला भइया'', कुंवर गोण्डा
7. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री सम्भल
8. अजीत पाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
9. अतुल गर्ग, श्री गाजियाबाद
10. अदिति सिंह, सुश्री रायबरेली
11. अनिल कुमार, श्री बुलन्दशहर
12. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
13. अनिल कुमार मौर्य, श्री सोनभद्र
14. अनिल पाराशर, श्री अलीगढ़
15. अनिल राजभर, श्री वाराणसी
16. अनिल सिंह, श्री उन्नाव
17. अनीता, श्रीमती अम्बेडकर नगर
18. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 बुलन्दशहर
19. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती बहराइच
20. अनुराग सिंह, श्री मिर्जापुर
21. अनूप, श्री अलीगढ़
22. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
23. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री प्रतापगढ़
24. अभिजीत सिंह सांगा, श्री कानपुर नगर
25. अमन मणि त्रिपाठी, श्री महराजगंज
26. अमर सिंह, श्री फर्रुखाबाद
27. अमर सिंह चौधरी, श्री सिद्धार्थनगर
28. अमिताभ बाजपेई, श्री कानपुर नगर
29. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री लखनऊ
30. अरविन्द गिरि, श्री खीरी
31. अरूण कुमार, डॉ0 बरेली
32. अरूण कुमार यादव, श्री आजमगढ़
33. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती कन्नौज
34. अलका राय, श्रीमती गाजीपुर
35. अवतार सिंह भड़ाना, श्री मुजफ्फरनगर
36. अवधेश सिंह, श्री वाराणसी
37. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री खीरी
38. अविनाश त्रिवेदी, श्री लखनऊ
39. अविनाश कुमार राणा, श्री बिजनौर
40. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री हमीरपुर
41. असलम अली, श्री हापुड़
42. आजाद अरिमर्दन, श्री आजमगढ़
43. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री बलिया
44. आर0 के सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
45. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती प्रतापगढ़
46. आलमबदी, श्री आजमगढ़
47. आशीष कुमार सिंह ''आशू'', श्री हरदोई
48. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
49. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री लखनऊ
50. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
51. इकराम कुरैशी, हाजी मुरादाबाद

52. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री फैजाबाद
53. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
54. उज्जवल रमण सिंह, श्री इलाहाबाद
55. उदयभान सिंह, चौ0 आगरा
56. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
57. उपेन्द्र सिंह, श्री बाराबंकी
58. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
59. उमेश मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
60. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
61. ओमकुमार, श्री बिजनौर
62. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
63. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
64. कमल रानी, श्रीमती कानपुर नगर
65. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
66. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
67. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
68. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
69. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
70. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
71. काली प्रसाद, श्री देवरिया
72. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
73. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
74. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
75. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
76. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
77. केसर सिंह, श्री बरेली
78. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
79. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
80. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
81. गंगा, श्री कुशीनगर
82. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
83. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
84. गिर्राज सिंह धर्मेश, श्री आगरा
85. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
86. गौरी शंकर, श्री जालौन
87. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
88. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
89. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
90. चेतन चौहान, श्री अमरोहा
91. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
92. छत्र पाल गंगवार, श्री बरेली
93. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
94. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
95. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
96. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
97. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
98. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
99. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
100. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
101. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
102. जयमंगल, श्री महराजगंज
103. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
104. जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू, श्री मेरठ
105. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
106. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
107. ज्ञानेन्द्र, श्री महराजगंज
108. डी0सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
109. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
110. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
111. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली

112. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
113. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
114. दल बहादुर, श्री रायबरेली
115. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
116. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
117. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
118. दिनेश खटिक, श्री मेरठ
119. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
120. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
121. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
122. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
123. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
124. देवेन्द्र प्रताप, श्री कासगंज
125. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
126. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
127. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
128. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
129. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
130. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
131. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य उर्फ पप्पू भइया, श्री बदायूं
132. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
133. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
134. नन्द किशोर, श्री गाजियाबाद
135. नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी'', श्री इलाहाबाद
136. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
137. नरेन्द्र पाल सिंह, कुं0 जालौन
138. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
139. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
140. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
141. नसीर अहमद खाँ, श्री रामपुर
142. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
143. नाहिद हसन, श्री शामली
144. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
145. निर्मला संखवार, श्रीमतीकानपुर देहात
146. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
147. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
148. नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
149. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
150. नीलिमा कटियार, श्रीमतीकानपुर नगर
151. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
152. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
153. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
154. पवन कुमार, श्री कुशीनगर
155. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
156. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
157. पिंकी सिंह यादव, श्रीमती सम्भल
158. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
159. प्रकाश द्विवेदी, श्री बांदा
160. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
161. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
162. प्रदीप कुमार, श्री सहारनपुर
163. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
164. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
165. प्रभु नारायण यादव, श्री चन्दौली
166. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
167. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
168. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
169. प्रेमसागर पटेल, श्री महराजगंज

170. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
171. फागू चौहान, श्री मऊ
172. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
173. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
174. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
175. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
176. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
177. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
178. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
179. बावन सिंह, श्री गोण्डा
180. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
181. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
182. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
183. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
184. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
185. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
186. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
187. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
188. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
189. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
190. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
191. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
192. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
193. मथुरा प्रसाद पाल, श्री कानपुर देहात
194. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
195. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
196. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
197. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
198. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
199. मन्जू शिवाज, डॉ0 गाजियाबाद
200. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
201. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
202. मसूद अखतर, श्री सहारनपुर
203. महबूब अली, श्री अमरोहा
204. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
205. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
206. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
207. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
208. महेश चन्द्र, श्री कानपुर नगर
209. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
210. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
211. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
212. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
213. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
214. मुकेश बर्मा, श्री फिरोजाबाद
215. मुख्तार अन्सारी, श्री मऊ
216. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
217. मो0 आजम खां, श्री रामपुर
218. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
219. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
220. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
221. मौ0 फईम, श्री मुरादाबाद
222. मौहम्मद अब्दुल्ला आजम खां, श्री रामपुर
223. यासर शाह, श्री बहराइच
224. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
225. योगेश धामा, श्री बागपत
226. योगेश वर्मा, श्री खीरी
227. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़

228. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
229. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
230. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
231. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
232. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
233. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
234. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
235. रमेश चन्द्र, श्री औरैया
236. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
237. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
238. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
239. रवि शर्मा, श्री झांसी
240. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
241. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
242. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
243. राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0 के वर्मा, श्री प्रतापगढ़
244. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
245. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
246. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
247. राकेश सिंह बघेल, श्रीसन्तकबीर नगर
248. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
249. राज करन कबीर, श्री बांदा
250. राजकुमार अग्रवाल उर्फ राजिया, श्री हरदोई
251. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्रीमैनपुरी
252. राजबाला, श्रीमती रामपुर
253. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
254. राजवीर दिलेर, श्री अलीगढ़
255. राजीव कुमार, श्री अमरोहा
256. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया, श्री बदायूं
257. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
258. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
259. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
260. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
261. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
262. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
263. राधा कृषण शर्मा, पं0 बदायूं
264. राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री गोरखपुर
265. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
266. रामकुमार वर्मा, पटेल, श्री खीरी
267. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
268. रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
269. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
270. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
271. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
272. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
273. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
274. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
275. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
276. राम फेरन, श्री श्रावस्ती
277. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
278. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
279. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
280. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर

281. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
282. रितेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकर नगर
283. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
284. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
285. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
286. लाखन सिंह, श्री औरैया
287. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
288. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
289. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
290. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
291. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
292. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
293. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
294. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
295. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
296. विजय कुमार कश्यप, श्रीमुजफ्फरनगर
297. विजय पाल (आढती), श्री हापुड़
298. विजय मिश्र, श्री भदोही
299. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
300. विनय कुमार, श्री गोण्डा
301. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
302. विनय शाक्य, श्री औरैया
303. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
304. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
305. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
306. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
307. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
308. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
309. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
310. वीरेन्द्र, श्री एटा
311. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री फैजाबाद
312. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
313. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
314. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
315. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
316. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
317. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
318. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
319. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
320. शीतला प्रसाद, श्री कौशाम्बी
321. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
322. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
323. शैलेश कुमार सिंह, श्री बलरामपुर
324. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
325. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
326. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
327. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
328. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
329. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
330. श्री राम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
331. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
332. संगम लाल गुप्ता, श्री प्रतापगढ़
333. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
334. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
335. संगीता, श्रीमती गाजीपुर
336. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
337. संजय, श्री बुलन्दशहर
338. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
339. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
340. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
341. संजय यादव, श्री बलिया

342. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
343. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
344. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
345. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
346. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकर नगर
347. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
348. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
349. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
350. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
351. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
352. सत्यपाल सिंह बघेल, श्री फिरोजाबाद
353. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
354. सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री मेरठ
355. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
356. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
357. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
358. सहेन्द्र सिंह रमाला, श्री बागपत
359. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
360. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
361. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
362. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
363. सीताराम, श्री सुल्तानपुर
364. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
365. सुचि, श्रीमती बिजनौर
366. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
367. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
368. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
369. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
370. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
371. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
372. सुरेन्द्र, श्री बलिया
373. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
374. सुरेश कुमार, श्री शामली
375. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
376. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
377. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
378. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
379. सुरेश राही, श्री सीतापुर
380. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
381. सुशान्त कुमार, श्री बिजनौर
382. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
383. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
384. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
385. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
386. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
387. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
388. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
389. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
390. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
391. सौरभ सिंह, श्री खीरी
392. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
393. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
394. हरगोविन्द भार्गव, श्री सीतापुर
395. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
396. हरिओउम यादव, श्री फिरोजाबाद
397. हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
398. हरीराम, श्री सोनभद्र
399. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
400. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
401. हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद

402. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा

403. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

महामहिम राज्यपाल
श्री राम नाईक

मंत्रि–परिषद्

क्रम	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री योगी आदित्यनाथ मुख्य मंत्री	गृह, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, अर्थ एवं संख्या, भू–तत्व एवं खनिकर्म, बाढ़ नियंत्रण, कर निबन्धन, कारागार, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गोपन, सतर्कता, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, संस्थागत वित्त, नियोजन, राज्य सम्पत्ति, नगर भूमि, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, अवस्थापना, भाषा, वाह्य सहायतित परियोजना, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास, लोक सेवा प्रबन्धन, किराया नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप।
2	श्री केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्य मंत्री	लोक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर तथा सार्वजनिक उद्यम।
3	डॉ0 दिनेश शर्मा उप मुख्य मंत्री	माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी।
4	श्री सूर्य प्रताप शाही	कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान।
5	श्री सुरेश कुमार खन्ना	संसदीय कार्य, नगर विकास एवं शहरी समग्र विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन।
6	श्री स्वामी प्रसाद मौर्य	श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय।
7	श्री सतीश महाना	औद्योगिक विकास।
8	श्री राजेश अग्रवाल	वित्त।
9	प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी	महिला कल्याण, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण एवं पर्यटन।
10	श्री दारा सिंह चौहान	वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं उद्यान।
11	श्री धर्मपाल सिंह	सिंचाई एवं सिंचाई (यांत्रिक)।
12	श्री सत्यपाल सिंह बघेल	पशुधन, लघु सिंचाई एवं मत्स्य।
13	श्री सत्यदेव पचौरी	खादी ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, वस्त्रोद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन।
14	श्री रमापति शास्त्री	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति

		कल्याण।
15	श्री जय प्रताप सिंह	आबकारी एवं मद्य निषेध।

1	2	3
16	श्री ओम प्रकाश राजभर	पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास।
17	श्री बृजेश पाठक	विधायी एवं न्याय, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, राजनैतिक पेंशन।
18	श्री लक्ष्मी नारायण	दुग्ध विकास, धर्मार्थ कार्य, संस्कृति, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज।
19	श्री चेतन चौहान	खेल, युवा कल्याण तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास।
20	श्री श्रीकान्त शर्मा	ऊर्जा।
21	श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा।
22	श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य।
23	श्री मुकुट बिहारी वर्मा	सहकारिता।
24	श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'	प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा।
25	श्री नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी''	स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं नागरिक उड्डयन।

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

क्रम	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्रीमती अनुपमा जैसवाल	बेसिक शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार, राजस्व ;डैव्द्ध तथा वित्त ;डैव्द्ध ।
2	श्री सुरेश राणा	गन्ना विकास एवं चीनी मिलें, औद्योगिक विकास ;डैव्द्ध ।
3	श्री उपेन्द्र तिवारी	जल आपूर्ति, भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास, वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान, उद्यान, सहकारिता ;डैव्द्ध ।
4	डॉ0 महेन्द्र सिंह	ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ;डैव्द्ध ।
5	श्री स्वतंत्रदेव सिंह	परिवहन, प्रोटोकाल, ऊर्जा ;डैव्द्ध ।
6	श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी	पंचायती राज, लोक निर्माण विभाग ;डैव्द्ध ।
7	डा0 धर्म सिंह सैनी	आयुष, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास ;डैव्द्ध ।
8	श्री अनिल राजभर	सैनिक कल्याण, खाद्य प्रसंस्करण ;डैव्द्ध, होमगार्ड्स,

		प्रान्तीय रक्षक दल एवं नागरिक सुरक्षा।
9	श्रीमती स्वाती सिंह	एन0आर0आई0 ;छत्प्द्ध, बाढ़ नियंत्रण, कृषि निर्यात, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार, महिला कल्याण, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण ;डैव्द्ध ।

राज्य मंत्री

क्रम	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्रीमती गुलाब देवी	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण।
2	श्री जय प्रताप निषाद	पशुधन एवं मत्स्य, राज्य सम्पत्ति, नगर भूमि।
3	श्रीमती अर्चना पाण्डे	भू–तत्व एवं खनिकर्म, आबकारी, मद्य निषेध।
4	श्री जय कुमार सिंह जैकी	कारागार, लोक सेवा प्रबन्धन।
5	श्री अतुल गर्ग	खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, किराया नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण, बांट–माप, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन।
6	श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह (धुन्नी सिंह)	कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान।
7	डा0 नीलकंठ तिवारी	विधायी एवं न्याय, सूचना, खेल एवं युवा कल्याण।
8	श्री मोहसिन रजा	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स, सूचना प्रोद्योगिकी, मुस्लिम वक्फ, हज।
9	श्री गिरीश चन्द्र यादव	नगर विकास तथा अभाव, सहायता एवं पुनर्वास।
10	श्री बल्देव सिंह औलख	अल्पसंख्यक कल्याण, सिंचाई, सिंचाई (यांत्रिक)।
11	श्री मनोहर लाल	श्रम एवं सेवायोजन।
12	श्री संदीप कुमार सिंह	बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा चिकित्सा शिक्षा।
13	श्री सुरेश कुमार	आवास एवं शहरी नियोजन, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास।

नेता विरोधी दल
श्री राम गोविंद चौधरी

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

अध्यक्ष

श्री हृदय नारायण दीक्षित

उपाध्यक्ष

रिक्त

प्रमुख सचिव

श्री प्रदीप कुमार दुबे

अधिष्ठाता मण्डल (2016–2017)

1–श्री सुखदेव राजभर, सदस्य, विधान सभा, (आजमगढ़),
2–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, सदस्य, विधान सभा, (लखनऊ),
3–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा, (गोरखपुर),
4–श्री वीरेन्द्र सिरोही, सदस्य, विधान सभा, (बुलन्दशहर),
5–रिक्त,
6–रिक्त,
7–रिक्त,
8–रिक्त,
9–रिक्त,
10–रिक्त।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

सोमवार, दिनांक 15 मई, 2017 ई0

;विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 12 बजकर 30 मिनट पर अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।द्ध

उपस्थित सदस्य–382

1. अक्षयवर लाल, श्री बहराइच
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
3. अजय कुमार, डॉ0 इलाहाबाद
4. अजय कुमार लल्लू, श्री कुशीनगर
5. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री बस्ती
6. अजय प्रताप सिंह, ''लल्ला भइया'' कुंवर गोण्डा
7. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री सम्भल
8. अजीत पाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
9. अतुल गर्ग, श्री गाजियाबाद
10. अदिति सिंह, सुश्री रायबरेली
11. अनिल कुमार, श्री बुलन्दशहर
12. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
13. अनिल कुमार मौर्य, श्री सोनभद्र
14. अनिल पाराशर, श्री अलीगढ़
15. अनिल राजभर, श्री वाराणसी
16. अनिल सिंह, श्री उन्नाव
17. अनीता, श्रीमती अम्बेडकर नगर
18. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 बुलन्दशहर
19. अनुराग सिंह, श्री मिर्जापुर
20. अनूप, श्री अलीगढ़
21. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री प्रतापगढ़
22. अभिजीत सिंह सांगा, श्री कानपुर नगर
23. अमन मणि त्रिपाठी, श्री महराजगंज
24. अमर सिंह, श्री फर्रुखाबाद
25. अमर सिंह चौधरी, श्री सिद्धार्थनगर
26. अमिताभ बाजपेई, श्री कानपुर नगर
27. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री लखनऊ
28. अरविन्द गिरि, श्री खीरी
29. अरूण कुमार, डॉ0 बरेली
30. अरूण कुमार यादव, श्री आजमगढ़
31. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती कन्नौज
32. अलका राय, श्रीमती गाजीपुर
33. अवतार सिंह भड़ाना, श्री मुजफ्फरनगर
34. अवधेश सिंह, श्री वाराणसी
35. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री खीरी
36. अविनाश त्रिवेदी, श्री लखनऊ
37. अविनाश कुमार राणा, श्री बिजनौर
38. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री हमीरपुर
39. असलम अली, श्री हापुड़
40. आजाद अरिमर्दन, श्री आजमगढ़
41. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री बलिया
42. आर0 के सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
43. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती प्रतापगढ़
44. आलमबदी, श्री आजमगढ़
45. आशीष कुमार सिंह ''आशू'', श्री हरदोई
46. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
47. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
48. इकराम कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
49. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री फैजाबाद
50. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
51. उदयभान सिंह, चौ0 आगरा
52. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
53. उपेन्द्र सिंह, श्री बाराबंकी
54. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
55. उमेश मलिक, श्री मुजफ्फरनगर

56. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
57. ओमकुमार, श्री बिजनौर
58. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
59. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
60. कमल रानी, श्रीमती कानपुर नगर
61. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
62. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
63. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
64. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
65. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
66. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
67. काली प्रसाद, श्री देवरिया
68. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
69. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
70. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
71. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
72. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
73. केसर सिंह, श्री बरेली
74. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
75. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
76. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
77. गंगा, श्री कुशीनगर
78. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
79. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
80. गिर्राज सिंह धर्मेश, श्री आगरा
81. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
82. गौरी शंकर, श्री जालौन
83. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
84. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
85. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
86. चेतन चौहान, श्री अमरोहा
87. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
88. छत्र पाल गंगवार, श्री बरेली
89. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
90. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
91. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
92. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
93. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
94. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
95. जयमंगल, श्री महराजगंज
96. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
97. जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू, श्री मेरठ
98. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
99. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
100. ज्ञानेन्द्र, श्री महराजगंज
101. डी0सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
102. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
103. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
104. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
105. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
106. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
107. दल बहादुर, श्री रायबरेली
108. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
109. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
110. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
111. दिनेश खटिक, श्री मेरठ
112. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
113. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
114. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
115. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
116. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
117. देवेन्द्र प्रताप, श्री कासगंज
118. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
119. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
120. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
121. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
122. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
123. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य उर्फ पप्पू भइया, श्री बदायूं

124. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
125. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
126. नन्द किशोर, श्री गाजियाबाद
127. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
128. नरेन्द्र पाल सिंह, कुं0 जालौन
129. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
130. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
131. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
132. नसीर अहमद खाँ, श्री रामपुर
133. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
134. नाहिद हसन, श्री शामली
135. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
136. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
137. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
138. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
139. नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
140. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
141. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
142. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
143. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
144. पवन कुमार, श्री कुशीनगर
145. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
146. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
147. पिंकी सिंह यादव, श्रीमती सम्भल
148. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
149. प्रकाश द्विवेदी, श्री बांदा
150. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
151. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
152. प्रदीप कुमार, श्री सहारनपुर
153. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
154. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
155. प्रभु नारायण यादव, श्री चन्दौली
156. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
157. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
158. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
159. प्रेमसागर पटेल, श्री महराजगंज
160. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
161. फागू चौहान, श्री मऊ
162. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
163. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
164. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
165. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
166. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
167. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
168. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
169. बावन सिंह, श्री गोण्डा
170. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
171. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
172. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
173. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
174. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
175. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
176. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
177. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
178. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
179. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
180. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
181. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
182. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
183. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
184. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
185. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
186. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
187. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
188. मन्जू शिवाज, डॉ0 गाजियाबाद
189. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
190. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
191. मसूद अखतर, श्री सहारनपुर
192. महबूब अली, श्री अमरोहा
193. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर

194. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
195. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
196. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
197. महेश चन्द्र, श्री कानपुर नगर
198. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
199. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
200. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
201. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
202. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
203. मुकेश बर्मा, श्री फिरोजाबाद
204. मुख्तार अन्सारी, श्री मऊ
205. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
206. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
207. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
208. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
209. मौ0 फईम, श्री मुरादाबाद
210. मौहम्मद अब्दुल्ला आजम खां, श्री रामपुर
211. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
212. योगेश वर्मा, श्री खीरी
213. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
214. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
215. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
216. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
217. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
218. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
219. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
220. रमेश चन्द्र, श्री औरैया
221. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
222. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
223. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
224. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
225. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
226. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
227. राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0 के वर्मा, श्री प्रतापगढ़
228. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
229. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
230. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
231. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
232. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
233. राज करन कबीर, श्री बांदा
234. राजकुमार अग्रवाल उर्फ राजिया, श्री हरदोई
235. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
236. राजबाला, श्रीमती रामपुर
237. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
238. राजवीर दिलेर, श्री अलीगढ़
239. राजीव कुमार, श्री अमरोहा
240. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया, श्री बदायूं
241. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
242. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
243. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
244. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
245. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
246. राधा कृषण शर्मा, पं0 बदायूं
247. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
248. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
249. रामकुमार वर्मा, पटेल, श्री खीरी
250. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
251. रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
252. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
253. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
254. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
255. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
256. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
257. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा

258. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
259. राम फेरन, श्री श्रावस्ती
260. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
261. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
262. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
263. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
264. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
265. रितेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकर नगर
266. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
267. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
268. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
269. लाखन सिंह, श्री औरैया
270. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
271. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
272. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
273. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
274. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
275. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
276. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
277. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
278. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
279. विजय कुमार कश्यप, श्रीमुजफ्फरनगर
280. विजय पाल (आढती), श्री हापुड़
281. विजय मिश्र, श्री भदोही
282. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
283. विनय कुमार, श्री गोण्डा
284. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
285. विनय शाक्य, श्री औरैया
286. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
287. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
288. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
289. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
290. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
291. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
292. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
293. वीरेन्द्र, श्री एटा
294. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
295. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
296. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
297. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
298. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
299. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
300. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
301. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
302. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
303. शीतला प्रसाद, श्री कौशाम्बी
304. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
305. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
306. शैलेश कुमार सिंह, श्री बलरामपुर
307. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
308. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
309. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
310. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
311. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
312. श्री राम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
313. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
314. संगम लाल गुप्ता, श्री प्रतापगढ़
315. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
316. संगीता, श्रीमती गाजीपुर
317. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
318. संजय, श्री बुलन्दशहर
319. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
320. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
321. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
322. संजय यादव, श्री बलिया
323. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
324. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
325. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
326. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
327. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकर नगर
328. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी

329. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
330. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
331. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
332. सत्यपाल सिंह बघेल, श्री फिरोजाबाद
333. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
334. सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री मेरठ
335. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
336. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
337. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
338. सहेन्द्र सिंह रमाला, श्री बागपत
339. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
340. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
341. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
342. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
343. सीताराम, श्री सुल्तानपुर
344. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
345. सुचि, श्रीमती बिजनौर
346. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
347. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
348. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
349. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
350. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
351. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
352. सुरेन्द्र, श्री बलिया
353. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
354. सुरेश कुमार, श्री शामली
355. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
356. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
357. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
358. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
359. सुरेश राही, श्री सीतापुर
360. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
361. सुशान्त कुमार, श्री बिजनौर
362. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
363. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
364. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
365. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
366. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
367. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
368. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
369. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
370. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
371. सौरभ सिंह, श्री खीरी
372. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
373. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
374. हरगोविन्द भार्गव, श्री सीतापुर
375. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
376. हरिओउम यादव, श्री फिरोजाबाद
377. हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
378. हरीराम, श्री सोनभद्र
379. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
380. हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
381. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
382. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

नोट—मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ), उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य), उप मुख्य मंत्री (डा0 दिनेश शर्मा) तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मुस्लिम वक्फ, हज राज्य मंत्री (श्री मोहसिन रजा) भी सदन में उपस्थित थे।

ख12.30,—राष्ट्रीय गीत

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्यगण कृपया स्थान ग्रहण करें और वन्दे मातरम् के लिए कृपया खड़े हो जायें।

शुभारम्भ,

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।

सुजलाम्।

सुफलम्।

मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

शुभ्र—ज्योत्सना—पुलकित—यामिनीम्

फुल्ल—कुसुमित—द्रुमदल—शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

ख12.31,—श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्यगण कृपया स्थान ग्रहण करें।

माननीय राज्यपाल जी द्वारा दिये गये अभिभाषण को मैं यहां पढ़ कर सुनाता हूं।

(प्रतियां वितरित कर दी जायं)

माननीय सदस्यगण, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के एक साथ समवेत अधिवेशन में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनन्दन और स्वागत करता हूं तथा आप सबको अपनी शुभकामनायें देता हूं। विधान परिषद् के सदस्य मा0 श्री बनवारी सिंह यादव जी का विगत 08 मार्च, 2017 को निधन हो गया। मैं स्वर्गीय श्री यादव को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

उत्तर प्रदेश की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ अभूतपूर्व जनादेश देकर मेरी सरकार का गठन किया है। मैंने अपने मंत्रि मण्डल में प्रदेश के लगभग सभी वर्गों, समुदायों एवं क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है। मेरी सरकार का मानना है कि जब तक समाज के अन्तिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान नहीं आयेगी तब

तक विकास का सपना अधूरा रहेगा। उत्तर प्रदेश का अतीत अत्यन्त शानदार रहा है। इसने देश की राजनीति की दिशा को बदलने वाले कई क्षमतावान और शानदार नेता दिये हैं, जिनका पूरे देश ने सम्मान किया है।

उत्तर प्रदेश कभी देश का सबसे अग्रणी प्रदेश हुआ करता था, किन्तु विगत कई वर्षों से यह विकास की दौड़ में अन्य प्रदेशों की तुलना में काफी पीछे छूट गया है। उत्तर प्रदेश को पुनः अग्रिम पंक्ति में लाना व ''सबका साथ सबका विकास'' ही हमारा संकल्प है।

(मेजें थपथपाई गईं)

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लें।

ख्भ्रष्टाचार को समाप्त कर पारदर्शी प्रशासन देना व जनाकांक्षाओं की पूर्ति तथा प्रदेश का सर्वांगीण विकास ही मेरी सरकार की प्राथमिकता है।

जनता की शासन/सत्ता में भागीदारी का अहसास और जन विश्वास की पुनर्स्थापना मेरी सरकार का लक्ष्य है। मेरी सरकार सुशासन के माध्यम से शासन की नीतियों तथा उसके कार्यान्वयन के बीच की दूरी को कम करेगी तथा अच्छा काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करेगी किन्तु भ्रष्ट और अकर्मण्य अधिकारियों और कर्मचारियों को दण्डित करने की प्रक्रिया भी प्रारम्भ की जायेगी। जनता द्वारा प्रचण्ड बहुमत से चुनी हुई उसकी अपनी सरकार लोक कल्याण के प्रति समर्पित और जवाबदेह होगी। मेरी सरकार ऐसी व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध है जो स्थाई, संवेदनशील और विकासोन्मुख हो। नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, पेयजल, आवास, स्वच्छता (शौचालय), स्वास्थ्य एवं शिक्षा की व्यवस्था के साथ–साथ जनता में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए मेरी सरकार दृढ़ प्रतिज्ञ है।

मेरी सरकार तुष्टिकरण की नीति से अलग हटकर सभी वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

मेरी सरकार का मानना है कि जब तक अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय में समय से उपस्थित नहीं होंगे तब तक न तो जनता की समस्याओं का समाधान हो सकेगा और न ही विकास के कार्य समय से सम्पादित हो सकेंगे। मेरी सरकार द्वारा कार्यालयों में समय से अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के प्रयास किये हैं। शनैः–शनैः सभी कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति की भी व्यवस्था की जायेगी।

मेरी सरकार द्वारा जनता की समस्याओं के त्वरित और सम्यक् निराकरण हेतु वरिष्ठ अधिकारियों, जिलाधिकारियों/पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिये गये हैं कि वे प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक अपने कार्यालय में बैठकर जनता की समस्याओं को सुने और उनका समुचित निराकरण सुनिश्चित करें। राज्य स्तर पर भी नियमित जनता दर्शन का कार्यक्रम आयोजित कर जनता की समस्याओं के प्रभावी निराकरण की व्यवस्था की गयी है।

मेरी सरकार ने लोक कल्याण संकल्प–पत्र 2017 के माध्यम से जनता से किये गये वायदे के अनुरूप दिनांक 31–12–2016 तक किसानों द्वारा लिये गये एक लाख रुपये तक के फसली ऋण को माफ करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय से 86 लाख से भी अधिक किसान लाभान्वित होंगे तथा इससे राजकोष पर लगभग रु0 36000 करोड़ का अतिरिक्त भार अनुमानित है।

मेरी सरकार ने बिजली का उत्पादन बढ़ा कर व बिजली की चोरी रोक कर जिला मुख्यालयों को 24 घण्टे, तहसील मुख्यालयों पर 20 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की है। साथ ही मेरी सरकार ने विद्युत आपूर्ति में बाधक खराब ट्रान्सफारमर्स को शहरी क्षेत्र में 24 घण्टे में व ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घण्टे के अन्दर बदलने की व्यवस्था की है।

मेरी सरकार ''पावर फार आल'' योजनान्तर्गत हर घर को बिजली देने व अक्टूबर, 2018 से 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कृत संकल्पित है तथा इस हेतु केन्द्र सरकार के साथ एक एम0ओ0यू0 भी हस्ताक्षरित किया गया है।

मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता प्रदेश में अमन–चैन व कानून का राज स्थापित करने की है। मातायें–बहनें जो रात में घर से निकलने में डरती थीं, ''एंटी रोमियो स्क्वायड'' के गठन तथा मनचलों व आपराधिक प्रवृत्ति के शोहदों पर प्रभावी कार्यवाही के उपरान्त वे अब रात में अकेली निर्भीक होकर निकलने लगी हैं।

मेरी सरकार ने जहां एक ओर किसानों का एक लाख तक फसली ऋण माफ किया है, वहीं दूसरी ओर किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में 5,000 गेहूं क्रय केन्द्र खोलकर उसके माध्यम से गेहूं के क्रय की समुचित व्यवस्था की है। पहली बार बिचौलियों/आढ़तियों के माध्यम से गेहूं क्रय की व्यवस्था को समाप्त करते हुए क्रय केन्द्रों के माध्यम से गेहूं खरीद की व्यवस्था की गयी है। गेहूं खरीद का न्यूनतम लक्ष्य 40 लाख मी0 टन से बढ़ा कर 80 लाख मी0 टन रखा गया है। गेहूं के समर्थन मूल्य रु0 1625 के अलावा किसानों को 10 रुपये प्रति कुन्तल अलग से ढुलाई व लदाई आदि के लिए मेरी सरकार द्वारा दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

मेरी सरकार ने आलू किसानों के उत्पादित आलू के मार्केटिंग की भी समुचित व्यवस्था की है।

मेरी सरकार द्वारा गन्ना किसानों को पेराई सत्र 2016–17 में अब तक रु0 18,327.52 करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। विगत वर्ष के अवशेष का भुगतान भी मेरी सरकार द्वारा कराया गया है। जिन चीनी मिलों द्वारा भुगतान में हीलाहवाली की गयी, उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही प्रारम्भ करने की तैयारी है।

मेरी सरकार ने किसानों को खेती के नये तौर–तरीकों की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 20 नये कृषि विज्ञान खोलने का भी निर्णय लिया है।

मेरी सरकार समाज के सभी वर्ग के लोगों की सामाजिक व आर्थिक दशा सुधारने व उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में सड़क के किनारे दुकान लगाने वाले पटरी दुकानदारों के हितों में एक कार्ययोजना लागू की गयी

है, जिससे अब लाइसेंस प्राप्त कर वे भी सम्मानजनक रूप से अपना व्यवसाय कर सकेंगे और अपने बच्चों का पालन–पोषण कर सकेंगे।

मेरी सरकार ने 15 जून, 2017 तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करने का निर्णय लिया है।

मेरी सरकार ने नौजवानों के हित में सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ (प्रारम्भिक) परीक्षा में सी–सैट से प्रभावित अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट देते हुए 02 अतिरिक्त अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया है।

अवस्थापना सुविधाओं के बिना विकास का सपना अधूरा है इसलिए मेरी सरकार अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने के लिए प्रयत्नशील है।

बुन्देलखण्ड का विकास मेरी सरकार की प्राथमिकता है। बुन्देलखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु रुपया 47 करोड़ की कार्य–योजना बनायी गयी है।

मेरी सरकार ने टेण्डर आदि में होने वाली अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए ई–टेण्डर की पारदर्शी व भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था की है।

मेरी सरकार ने समन्वित विकास व तीर्थ यात्रियों व पर्यटकों को उच्च स्तरीय सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अयोध्या व मथुरा, वृन्दावन दो नये नगर निगम के गठन का निर्णय लिया है।

मेरी सरकार ने सरकारी व निजी भूमि पर से अवैध कब्जे को हटवाने के लिए ''एंटी भू–माफिया टास्क फोर्स'' के गठन का निर्णय लिया है।

मेरी सरकार ने एकात्म मानववाद के प्रणेता व अन्त्योदय का सूत्रपात करने वाले स्वनामधन्य पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म शताब्दी वर्ष 25 सितम्बर, 2016 से 24 सितम्बर, 2017 तक पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के साथ समारोहपूर्वक मनाया जा रहा है। इसी के साथ 25 सितम्बर, 2017 को उनकी जन्मस्थली नगला चन्द्रभान ''दीन दयाल धाम'' जनपद मथुरा में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है।

कृषि विभाग

प्रदेश में वर्ष 2017–18 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 566.64 लाख मी0 टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 10.90 लाख मी0 टन निर्धारित किया गया है। वर्ष 2017–18 में 55.89 लाख कु0 बीज वितरण का लक्ष्य है, जिसमें खरीफ की फसलों हेतु 11.03 लाख कु0 एवं रबी की फसलों हेतु 44.86 लाख कु0 का वितरण किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2017–18 में 42.08 प्रतिशत बीज प्रतिस्थापन दर प्राप्त करने का लक्ष्य है। शासन के विशेष प्रयास से कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश के कृषकों को कृषि निवेशों के क्रय करने हेतु उन्हें फसली ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2017–18 में रु0 104027.31 करोड़ का फसली ऋण वितरित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश में गेहूं, चावल, दलहन, मोटे अनाज एवं व्यवसायिक फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चलाया जा रहा है। प्रदेश में तिलहनी फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से नेशनल मिशन ऑन आयल सीड एण्ड आयल पाम क्रियान्वित किया जा रहा है।

आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी के अन्तर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत प्रसार सुधार कार्यक्रम वर्ष 2017–18 में 99341 मानव दिवस एक्सपोजर विजिट, 149422 मानव दिवस कृषक प्रशिक्षण, 20525 कृषि प्रदर्शन, 1642 किसान गोष्ठी, 75 किसान मेला, 4105 फार्म स्कूल तथा 4105 कृषक समूहों का गठन एवं उनके क्षमता विकास का लक्ष्य है। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के अन्तर्गत लघु एवं सीमन्त कृषकों को किराये पर तथा अनुदान पर कृषि यन्त्र क्रय हेतु वर्ष 2017–18 में 300 कस्टम हायरिंग केन्द्र तथा 582 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 में रेनफेड एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत 35 जनपदों में 12464 हे0 में क्रापिंग सिस्टम, फार्मिंग सिस्टम तथा वैल्यू एडीशन का कार्य प्रस्तावित है। इसी योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 में 24.31 लाख नमूनें ग्रिड के आधार पर प्राप्त कर मृदा नमूना को विश्लेषित कराकर ग्रिड से आच्छादित समस्त कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है इस योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 में परम्परागत कृषि विकास योजना के द्वारा जैविक खेती का कार्यक्रम 30 जनपदों (बुन्देलखण्ड के समस्त जनपद) में क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है। योजनान्तर्गत 52750 एकड़ क्षेत्र में जैविक खेती का कार्यक्रम चलाया जायेगा।

प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015–16 से संचालित की जा रही है। इसके मुख्य रूप से चार घटक हैं :––

1–ए0आई0बी0पी0 (एक्सेलेरेटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम)–यह योजना सिंचाई विभाग में पूर्व से संचालित है।

2–हर खेत को पानी–नये जल स्रोतों के विकास एवं पुराने जलाशयों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार करके भूमिगत जल स्तर को ऊपर उठाने के अतिरिक्त सिंचाई जल वितरण प्रणाली को विकसित करने पर विशेष बल दिया गया है। यह कार्य सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई एवं कमाण्ड एरिया डेवलपमेन्ट द्वारा किया जा रहा है।

3–प्रति बूंद अधिक फसल (पर ड्रॉप मोर क्रॉप)–इसके अन्तर्गत जल के समुचित उपयोग हेतु स्प्रिंकलर एवं ड्रिप के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था करायी जा रही है। यह कार्य उद्यान एवं खाद प्रसंस्करण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।

4–जलागम विकास–वर्षा आश्रित क्षेत्रों में नमी संरक्षण के लिए जलागम प्रबन्धन अपनाते हुए भूमि एवं जल संरक्षण का कार्य कृषि विभाग एवं परती भूमि विकास विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग

प्रजाति विकास के साथ ही विश्वविद्यालयों द्वारा फसलों की शस्य विधियां, उर्वरक प्रबन्धन, फसल सुरक्षा, फसल पद्धति, बारानी खेती, दियरा भूमि, ऊसर भूमि, सब्जी एवं उद्यान के क्षेत्रों में तकनीक विकसित की गयी है। विकसित कृषि तकनीकों का प्रचार–प्रसार कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा कृषि ज्ञान केन्द्रों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों आदि के माध्यम से कृषकों तक पहुंचाया जा रहा है।

किसानों को उन्नतशील बीज एवं तकनीक उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद के अन्तर्गत धान, कानपुर के अन्तर्गत गेहूं एवं सब्जी, मेरठ के अन्तर्गत बायो तकनीक से बासमती धान, बांदा के अन्तर्गत शुष्क खेती तथा इलाहाबाद के अन्तर्गत लघु एवं मध्यम कृषि उपकरणों पर अनुसंधान हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना किये जाने पर विचार किया जा रहा है। इससे प्रदेश में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता की बढ़ती मांग के अनुरूप कृषि उत्पादन एवं किसानों की आय में वृद्धि हो सकेगी तथा कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रसार को बढ़ावा मिलेगा। कृषि विश्वविद्यालयों के संकायों/विभागों द्वारा विकसित नवीन कृषि तकनीकों को कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से कृषकों तक पहुंचाये जाने एवं उन्हें जागरूक बनाये जाने के दृष्टिगत भारत सरकार के सहयोग से 20 जनपदों में कुल 20 नये कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना का कार्य प्रक्रियाधीन है।

पशुधन विभाग

पशुधन विकास के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों यथा–उन्नत प्रजनन, पशुरोग नियंत्रण, उन्नत पशुपोषण तथा आधुनिक पशुधन प्रबन्धन के माध्यम से पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि होती है जिससे कि गरीब पशुपालकों, निर्बल वर्गों, भूमिहीन श्रमिकों की आजीविका तथा उनका आर्थिक उन्नयन सुनिश्चित होता है साथ ही साथ कुपोषण भी दूर होता है। वर्ष 2017–18 में दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य 319.28 लाख मी0 टन, अण्डा उत्पादन का लक्ष्य 2653.35 मिलियन तथा ऊन उत्पादन 25.718 लाख कि0ग्रा0 का लक्ष्य रखा गया है।

प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि एवं उच्च उत्पादन क्षमता के गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं के प्रदेश में ही उत्पादन हेतु 300 कामधेनु डेयरी इकाईयां एवं 1500 मिनी कामधेनु डेयरी इकाईयों की स्थापना के साथ ही 2500 माइक्रो कामधेनु डेयरी इकाईयों की स्थापना की जा रही है। इकाईयों की स्थापना हेतु लिये जाने वाले बैंक ऋण पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था है।

प्रदेश के पशुपालकों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु पशुधन समस्या निवारण केन्द्र की स्थापना की गयी है जिसका टोल फ्री नं0 18001805141 हैं, जिससे पशुपालकों की समस्याओं का तत्काल एवं गुणवत्तापरक निस्तारण हो रहा है।

सहकारिता विभाग

प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के माध्यम से अल्पकालीन फसली ऋण (3.00 लाख रु0 तक) 3 प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश के सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले लघु एवं सीमान्त कृषकों को कर्जमाफी का लाभ सुलभ कराये जाने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार की प्राथमिकता के अनुसार भविष्य में कृषकों को शून्य प्रतिशत की दर पर अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध कराये जाने की योजना है। लाईसेन्स धारक एवं प्रदेश में स्थापित 50 जिला सहकारी बैंकों से सम्बद्ध निष्क्रिय पैक्स तथा हानि पर कार्यरत पैक्स को आत्मनिर्भर व स्वाश्रयी बनाने हेतु अल्पकालीन एवं मध्यकालीन रणनीति बनाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

मूल्य समर्थन योजना––

रबी विपणन वर्ष 2017–18 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूं की पैदावार अच्छी होने की सम्भावना के दृष्टिगत शासन द्वारा निर्धारित कार्यकारी लक्ष्य से अधिक खरीद किसानों से करने के लिए सहकारिता विभाग प्रयासरत है।

रबी विपणन वर्ष 2017–18 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित क्रय नीति के अनुसार गेहूं खरीद हेतु सहकारिता विभाग की क्रय एजेन्सियों उ0 प्र0 सहकारी संघ (पी0सी0एफ0) एवं उ0 प्र0 कोआपरेटिव यूनियन (पी0सी0यू0) को खाद्य विभाग द्वारा नामित किया गया है।

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में कुल 3112 क्रय केन्द्र खोले गये जिसके माध्यम से 32.00 लाख मै0 टन गेहूं क्रय किये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 18–04–2017 तक 1.14 लाख मै0 टन गेहूं क्रय किया गया है। इस सम्बन्ध में किसानों को शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर उनके गेहूं की बिक्री किये जाने की सुदृढ़ व्यवस्था की गयी है ताकि किसानों को उनके उपज का उचित मूल्य मिल सके।

पंचायतीराज विभाग

1–बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण––

ग्राम पंचायतों के कार्यालयों, उनकी बैठकों के आयोजन तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत अधिकारी आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रदेश में कुल 750 पंचायत भवनों का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु विभिन्न मदों के अन्तर्गत कुल रु0 1400.00 लाख का प्राविधान प्रस्तावित है।

2–प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास––

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास एवं अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने, नदियों में दाह–संस्कार किये जाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 1409 अन्त्येष्टि स्थलों के निर्माण का निर्णय लिया गया है जिसके

लिए चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में रु0 12700.80 लाख की धनराशि का प्राविधान प्रस्तावित है।

3–स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)––

प्रदेश के समस्त जनपदों में माह अक्टूबर, 2014 से केन्द्र वित्त पोषित स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य स्वच्छ व्यवहार अपनाकर ग्रामीणों के सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना है तथा माह दिसम्बर, 2018 तक प्रदेश के समस्त जनपदों को खुले में शौच मुक्त करना है। योजनान्तर्गत बी0पी0एल0 श्रेणी के समस्त परिवारों के साथ–साथ ए0पी0एल0 श्रेणी के अनुसूचित जाति/जनजाति, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, ऐसा परिवार जिसकी मुखिया महिला हो, दिव्यांग व्यक्ति वाले परिवार एवं लघु तथा सीमान्त कृषकों को रु0 12,000 का अनुदान दिया जाता है।

कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद शामली खुले में शौच मुक्त घोषित हो चुका है तथा इसके अतिरिक्त 30 अन्य जनपदों को 31 दिसम्बर, 2017 तक खुले में शौच मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके उपरान्त शेष 44 जनपदों को भी 31 दिसम्बर, 2018 तक खुले में शौच मुक्त करने की योजना है।

उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में 78,86,237 व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण का प्रस्ताव है, जिसमें से लगभग 10 लाख शौचालय लाभार्थियों द्वारा अपने संसाधन से एवं शेष 68,86,237 अनुदान से निर्मित कराये जायेंगे। योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल रु0 11,26,371.80 लाख की आवश्यकता होगी।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

देश के कुल बागवानी फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अग्रणी स्थान है। प्रदेश के चयनित जनपदों में प्रमुखता से एकीकृत बागवानी विकास मिशन, जल के संतुलित उपयोग हेतु ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति का उपयोग, संकर शाकभाजी बीजों से उत्पादन में वृद्धि तथा बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में नये उद्यानों की स्थापना कराने के कार्यक्रम संचालित हैं जिन पर अनुदान की सुविधायें उपलब्ध हैं। मधुमक्खी पालन, पान की खेती एवं मशरूम उत्पादन के लिए विभाग में राजकीय केन्द्रों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित होते हैं। विभाग की पौधशालाओं पर उच्च गुणवत्ता के कलमी, बीजू तथा शोभकार पौधे तैयार कर बिना लाभ हानि लागत मूल्य पर जन साधारण को सुलभ कराये जा रहे हैं।

प्रदेश में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्यमियों को शत–प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है जिसे वर्तमान में संचालित मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना में आवश्यक संशोधन के साथ आरम्भ किया जायेगा।

ग्राम्य विकास विभाग

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के सुनियोजित आर्थिक विकास के लिए अनेक कार्यक्रम/योजनायें चलाई जा रही हैं। प्रदेश सरकार द्वारा योजनाओं का

लाभ निचले स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। सबके लिए रोजगार, आवास, सड़क एवं पेयजल उपलब्ध कराना वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता है।

आवास विहीन/कच्चे आवासों में निवास करने वाले परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु संचालित प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 के लक्ष्य 5.73 लाख आवासों का निर्माण वित्तीय वर्ष 2017–18 में कराया जायेगा।

श्रम परक रोजगार के इच्छुक परिवारों को गारण्टी युक्त रोजगार उपलब्ध कराने हेतु संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में 18.00 करोड़ मानव दिवस के रोजगार के अवसर सृजित किये जायेंगे।

ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं को सशक्त बनाकर लाभदायक स्वरोजगार एवं कुशल मजदूरी वाले रोजगार के अवसर प्राप्त कराने के उद्देश्य से संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में 22,700 समूहों को बैंक क्रेडिट से लिंक कराया जायेगा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में स्वीकृत समस्त 680 सड़कें वर्ष 2017–18 में पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

भारत सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2014 में प्रारम्भ नीर निर्मल परियोजना में पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से पेयजल आपूर्ति हेतु 02 चरणों में क्रियान्वित की जाने वाली इस परियोजना की अवधि मार्च, 2020 तक है। परियोजना के प्रथम चरण में 9 जनपदों (इलाहाबाद, बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, बहराइच एवं गोण्डा) की 248 ग्राम पंचायतों में रु0 445.85 करोड़ की लागत से 233 एकल एवं बहुल ग्रामीण पाइप पेयजल योजनायें निर्माणाधीन हैं। इनमें से 34 पाइप पेयजल योजनाओं पर कार्य पूर्ण है। शेष 92 योजनायें जून, 2017 तक तथा 107 योजनायें सितम्बर, 2017 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। परियोजना के द्वितीय चरण में 05 अन्य जनपदों (सोनभद्र, फतेहपुर, वाराणसी, सिद्धार्थनगर एवं संत कबीर नगर) को सम्मिलित किया गया है, जिनमें जून, 2017 से क्रियान्वयन प्रारम्भ होना प्रस्तावित है।

समाज कल्याण विभाग

समाज कल्याण विभाग द्वारा असहाय, शोषित एवं सुविधा विहीन विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनायें चलाई जा रही हैं, जिनमें मुख्यतः शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान तथा रोजगारपरक योजनायें सम्मिलित हैं। राज्य पेंशन योजनान्तर्गत कुल रु0 3666.30 करोड़ का बजट प्राविधान प्रस्तावित है।

वृद्ध अशक्त गृह की स्थापना–माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण योजनान्तर्गत 75 जनपदों में वृद्ध आश्रम की स्थापना व संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु योजनान्तर्गत धनराशि रु0 63.00 करोड़ का बजट प्राविधान प्रस्तावित है।

वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना–वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजनान्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी वर्गों के पात्र वृद्धजनों जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में

रु0 56,460/– तथा ग्रामीण क्षेत्र में रु0 46,080/– है को प्रति लाभार्थी रु0 400/– प्रतिमाह (केन्द्रांश रु0 200/– व राज्यांश रु0 200/–) तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र वृद्धजनों को भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में रु0 500/– प्रति लाभार्थी प्रतिमाह पी0एफ0एम0एस0 साफ्टवेयर के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में अन्तरित की जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में धनराशि रु0 2121.80 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है।

चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में नई सरकार की प्राथमिकता एवं प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित इन्दिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत रु0 1,000/– प्रति लाभार्थी, प्रतिमाह दिया जाना प्रस्तावित है। योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अनुमानित भौतिक लक्ष्य 4345014 निर्धारित है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना–वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल रु0 500.00 करोड़ का आय–व्ययक प्राविधान प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष 1,66,500 पात्र लाभार्थियों के लाभान्वित होने का अनुमान है।

पूर्वदशम छात्रवृत्ति–अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9 व 10) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत रु0 190.00 करोड़ तथा सामान्य वर्ग पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत रु0 16.64 करोड़ का बजट प्राविधान प्रस्तावित है।

दशमोत्तर छात्रवृत्ति (अनुसूचित जाति)–अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल रु0 2200.00 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है।

दशमोत्तर छात्रवृत्ति (सामान्य वर्ग)–चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत रु0 666.30 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है।

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन–इस योजनान्तर्गत 93 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों को सी0बी0एस0सी0 बोर्ड से सम्बद्धता कराकर नवोदय विद्यालय के पैटर्न पर संचालित किया जायेगा। विद्यालयों में पुस्तकालय, कम्प्यूटर कक्ष तथा स्मार्ट क्लास की भी सुविधा प्रदान की जायेगी। छात्रों को निःशुल्क शिक्षा पाठ्य–पुस्तकें, ड्रेस एवं भोजन आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में रु0 216.50 करोड़ का बजट प्राविधान प्रस्तावित है।

शादी अनुदान योजना–अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग शादी अनुदान योजना में जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रु0 56,460/– तथा ग्रामीण क्षेत्र में रु0 46,080/– है, को पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना में धनराशि रु0 20,000/– प्रति लाभार्थी जनपद स्तर से पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में धनराशि अन्तरित की जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुसूचित जाति शादी अनुदान योजनान्तर्गत रु0 150.00 करोड़ तथा सामान्य वर्ग शादी अनुदान में रु0 50.00 करोड़ का बजट प्राविधान प्रस्तावित है।

निःशुल्क बोरिंग योजना—योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के लघु सीमान्त किसानों को प्रति लाभार्थी रु0 10,000/— की सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017—18 में रु0 12.00 करोड़ का बजट प्राविधान प्रस्तावित है।

जनजाति विकास उ0 प्र0

वित्तीय वर्ष 2016—17 में जनजाति विकास कार्यक्रम के संचालन हेतु रु0 52.30 लाख की बजट व्यवस्था की गयी, जिसके सापेक्ष केन्द्रांश की अवशेष धनराशि रु0 14.21 लाख की स्वीकृति प्राप्त कर रु0 13.21 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। वित्तीय वर्ष 2017—18 में रु0 52.30 लाख का बजट प्राविधान प्रस्तावित है। अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कौशल विकास कार्यक्रम यथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण, सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम जनपद लखीमपुर—खीरी, बलरामपुर, बिजनौर एवं बहराइच/श्रावस्ती तथा महराजगंज में संचालित हैं।

अनुसूचित जनजातियों की कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत छात्राओं के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु बुक बैंक योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2017—18 हेतु रु0 5.00 लाख का बजट प्राविधान प्रस्तावित है।

अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की पुत्रियों के शादी हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2016—17 में अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की पुत्रियों के शादी हेतु अनुदान रु0 130.00 लाख का प्राविधान था, बजट व्यवस्था के सापेक्ष रु0 108.00 लाख की धनराशि व्यय करके 540 परिवारों को सहायता प्रदान की गयी। वित्तीय वर्ष 2017—18 में इस हेतु रु0 130.00 लाख का बजट प्राविधान प्रस्तावित है।

अनुसूचित जनजातियों की छात्राओं हेतु यूनिफार्म एवं बाइसिकिल योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2016—17 हेतु रु0 80.00 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष रु0 55.00 लाख की धनराशि व्यय करके 1571 छात्राओं को सहायता प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2017—18 हेतु रु0 80.00 लाख का बजट प्राविधान प्रस्तावित है।

राज्य पेंशन योजना के अन्तर्गत समाज के सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सही प्रतिनिधित्व देते हुए प्रदेश के ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र के ऐसे गरीब परिवार, जिनके पास आय के उपयुक्त साधन उपलबध नहीं है, के जीवन यापन आर्थिक व सामाजिक उन्नयन हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी। इस योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थी को रु0 500/—प्रतिमाह की दर से धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2017—18 में योजनान्तर्गत कुल रु0 3500.00 लाख का बजट प्राविधान है।

उ0 प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0

निगम द्वारा संचालित स्वरोजगार की योजनाओं के अन्तर्गत बी0पी0एल0 श्रेणी के लोगों को स्वरोजगार के लिए कृषि एवं अकृषि क्षेत्र की परियोजनाओं के बैंकों के सहयोग से रु0 15.00 लाख लागत तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। व्यावसायिक क्षेत्र में स्वयं की भूमि पर रु0 78,000/– की धनराशि उपलब्ध कराकर स्वरोजगार हेतु दुकान निर्मित कराई जाती है, धोबी समाज के व्यक्तियों के लिए लाउण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग परियोजना हेतु रु0 01.00 लाख तथा रु0 2.16 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, अनुसूचित जाति के बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु रु0 25.00 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। सड़क पर जूता मरम्मत करने वाले अनुसूचित जाति के कारीगरों हेतु रु0 2.28 लाख लागत की पक्की दुकान उपलब्ध कराई जाती है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में 1,01,688 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को रु0 107.27 करोड़ अनुदान, रु0 16.00 करोड़ मार्जिन मनी ऋण, रु0 384.00 करोड़ बैंक ऋण तथा रु0 13.34 करोड़ ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराकर लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण

1–पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पिछड़े वर्ग के अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की भांति उन्हीं दरों एवं शर्तों पर विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति हेतु रु0 142.04 करोड़ का प्राविधान था, जिसके अन्तर्गत 5,19,596 छात्रों को रु0 107.34 करोड़ की छात्रवृत्ति वितरित की गयी। वित्तीय वर्ष 2017–18 में भी पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना हेतु रु0 142.04 करोड़ की लेखानुदान द्वारा व्यवस्था की गयी है।

2–वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु रु0 399.03 करोड़ का आय– व्ययक प्राविधान था, जिसके अन्तर्गत 13,64,070 छात्रों को रु0 433.75 करोड़ की छात्रवृत्ति वितरित की गयी। वित्तीय वर्ष 2017–18 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु रु0 399.03 करोड़ लेखानुदान द्वारा व्यवस्था की गयी है।

3–दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में रु0 551.28 करोड़ का आय–व्ययक में प्राविधान था, जिसके अन्तर्गत 11,13,176 छात्रों को रु0 551.28 करोड़ की धनराशि वितरित की गयी। वित्तीय वर्ष 2017–18 में शुल्क प्रतिपूर्ति योजना हेतु रु0 551.28 करोड़ की आय–व्ययक अनुमान में लेखानुदान द्वारा व्यवस्था की गयी है।

4–पिछड़े वर्ग के गरीब छात्र–छात्राओं को आवासीय सुविधा देने हेतु विभाग में भारत सरकार के सहयोग से संचालित छात्रावास निर्माण योजनान्तर्गत कुल 16 नये छात्रावासों के प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा चुके हैं। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल रु0 21.05 करोड़ का आय–व्ययक में प्राविधान था। किन्तु कतिपय कारणों से उक्त धनराशि व्यय न की जा सकी। वित्तीय वर्ष

2017–18 में भी छात्रावास निर्माण योजना के अन्तर्गत रु0 21.05 करोड़ की आय–व्ययक अनुमान में लेखानुदान द्वारा व्यवस्था की गयी है।

5–पिछड़े वर्ग के निर्धन लोगों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में रु0 154.00 करोड़ की आय–व्ययक अनुमान में लेखानुदान द्वारा व्यवस्था की गयी है।

6–पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक/युवतियों को 'ओ' लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में रु0 11.00 करोड़ की आय–व्ययक अनुमान में लेखानुदान द्वारा व्यवस्था की गयी है। 'ओ' लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण से अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के रोजगार पाने की सम्भावनायें बढेंगी।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग

मेरी सरकार ने विकलांग कल्याण विभाग का नाम परिवर्तित कर ''दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग'' किया गया है।

दृष्टिबाधित, शारीरिक रूप से अक्षम तथा मूकबधिर एवं मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए विभिन्न सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गठित दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजन को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनायें संचालित की जा रही है। इस हेतु वर्ष 2017–18 में कुल रु0 1407.33 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गयी है, जो वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विगत वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु प्राविधानित धनराशि रु0 667.35 करोड़ के सापेक्ष रु0 757.52 करोड़ अधिक प्रस्तावित है।

दिव्यांगजन हेतु संचालित महत्वपूर्ण योजनायें व कार्य

- दिव्यांगजन पेंशन योजना के अन्तर्गत लगभग 9,25,000 पात्र दिव्यांगजन को मेरी सरकार द्वारा वर्तमान में दी जा रही पेंशन धनराशि रु0 300/– प्रतिमाह के स्थान पर रु0 500/– प्रतिमाह की दर से पेंशन दिये जाने हेतु रु0 555.00 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गयी है।
- शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना हेतु रु0 2.64 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गयी है, जिससे लगभग 1,260 दिव्यांगजन दम्पत्तियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।
- दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना से दिव्यांगजन को लाभान्वित किये जाने के लिए कुल रु0 104.40 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी है।
- कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण अनुदान योजना में रु0 17.50 करोड़ की प्रस्तावित धनराशि से दिव्यांगजन को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।
- नवीन समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना कराये जाने हेतु तथा पूर्व में निर्माणाधीन विद्यालय भवन के अवशेष कार्यों हेतु कुल रु0 147.73 करोड़ की धनराशि वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रस्तावित है।

- मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वेच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान किये जाने हेतु कुल रु0 5.00 करोड़ का बजट प्राविधान प्रस्तावित है।

- प्रदेश में नवीन बचपन डे केयर सेन्टर के संचालनार्थ तथा पूर्व से संचालित बचपन डे केयर सेन्टर्स हेतु कुल रु0 15.00 करोड़ का बजट प्राविधान प्रस्तावित है।

- दिव्यांगजन को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा वर्तमान में राज्य की सीमा के अन्तर्गत ही अनुमन्य की गयी है। दिव्यांगजन को निःशुल्क बस यात्रा सुविधा उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसों के अन्तिम गन्तव्य स्थल तक (चाहे व राज्य की सीमा से बाहर ही क्यों न हों) अनुमन्य करायी जायेगी।

- ''डिसलेक्सिया'' से प्रभावित बच्चों के लिए अध्यापक प्रशिक्षण सह–निदान केन्द्र की स्थापना लखनऊ में करायी जायेगी।

- जनपद गोरखपुर में इन्सेफलाइटिस से प्रभावित व्यक्तियों के निदान उपरान्त थेरैपी एवं परामर्श हेतु कम्पोजिट रीजनल सेन्टर (सी0आर0सी0) की स्थापना भारत सरकार द्वारा की जा रही है, इसके लिए मेडिकल कालेज परिसर, गोरखपुर में भूमि उपलब्ध करायी जायेगी।

- दिव्यांग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं/सेवा योजकों आदि को विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर प्रदान किये जाने वाले राज्य स्तरीय पुरस्कार की विविधता बढ़ायी जाये और पुरस्कार राशि रुपये 5,000/– से बढ़ाकर रुपये 25,000/– कर दी जाये। इसके लिए सुसंगत नियमावली में आवश्यक संशोधन करा दिये जायेंगे।

- बचपन डे केयर सेन्टर पर आने वाले बच्चों को निःशुल्क मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

- स्वास्थ्य बीमा योजना के एकल प्रीमियम का 90 प्रतिशत का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है और 10 प्रतिशत अंश लाभार्थी द्वारा दिये जाने की व्यवस्था है। मेरी सरकार द्वारा मत स्थिर किया गया कि लाभार्थी द्वारा दिये जाने वाले 10 प्रतिशत अंश को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

अल्पसंख्यक कल्याण

- मेरी सरकार अशिक्षा तथा बेरोजगारी दूर कर सभी के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा तथा उन्नयन हेतु कृत संकल्प है।

- कक्षा 9 से 10 तक के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के पूर्वदशम कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छात्र/छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट में रु0 40.65 करोड़ की व्यवस्था की गयी

थी जिसमें से रु0 30.80 करोड़ की धनराशि छात्र/छात्राओं के बैंक खाते में अन्तरित की गयी।

- कक्षा 11 तथा उसके ऊपर के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- निर्धन अभिभावकों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावकों की अधिकतम दो पुत्रियों की शादी हेतु रु0 20,000/– प्रति पुत्री अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में रु0 82.45 करोड़ का बजट प्राविधान था जिसके सापेक्ष रु0 81.5960 करोड़ लाभार्थियों को उपलब्ध कराया गया।
- भारत सरकार द्वारा संचालित मदरसा/मकतब आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त मदरसों/मकतबों में धार्मिक शिक्षा के साथ–साथ आधुनिक विषयों की शिक्षा की सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार की शत–प्रतिशत वित्त पोषित यह योजना वर्ष 1994–95 से चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत स्नातक शिक्षकों को रु0 6000/– प्रतिमाह तथा परास्नातक एवं बी–एड डिग्री धारक शिक्षकों को रु0 12000/– प्रतिमाह की दर से मानदेय का भुगतान किया जाता है, शासन स्तर पर हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार राज्यांश के रूप में स्नातक शिक्षकों को रु0 2000/– प्रतिमाह तथा परास्नातक एवं बी–एड डिग्री धारक शिक्षकों को रु0 3000/– प्रतिमाह की दर से अतिरिक्त मानदेय दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।
- अल्पसंख्यकों में उच्च स्तर की शिक्षा के लिए बहुउद्देशीय शैक्षणिक हब योजना के अन्तर्गत प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र–छात्राओं को इण्टरमीडिएट स्तर तक गुणवत्ता की शिक्षा के साथ–साथ मेडिकल/इंजीनियरिंग/प्रबन्धकीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग एवं कैरियर काउन्सिलिंग की यथा आवश्यकता व्यवस्था सहित अधिकतम अल्पसंख्यक आबादी वाले जनपदों में छात्र/छात्राओं के लिए सेण्ट्रल स्कूल के माडल पर अलग–अलग राजकीय माडल इण्टर कालेज स्थापित करने के लिए योजना है।
- भारत सरकार द्वारा संचालित महिला छात्रावास/विद्यालय भवन निर्माण योजना शत–प्रतिशत केन्द्र पुरोनिर्धारित है। अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास के लिए अल्पसंख्यक सघन आबादी वाले क्षेत्रों में महिला छात्रावास की योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत 24 छात्रावासों एवं 11 विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
- बारहवीं पंचवर्षीय योजना में इसमें प्रदेश के 144 विकास खण्डों तथा 18 स्थानीय निकायों को भी सम्मिलित किया गया है। योजनान्तर्गत जनपदों में अल्पसंख्यक समुदाय के चहुमुखी विकास एवं राष्ट्र की मुख्य धारा में लाये जाने के उद्देश्य से और अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में मौजूद क्रिटिकल गैप्स को दूर करने का

प्रयास किया जा रहा है। इसमें शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग

- समेकित बाल विकास सेवा (आई0सी0डी0एस0) योजना 06 माह से 06 वर्ष आयु के बच्चों के समन्वित विकास के लिए संचालित है। प्रदेश के सभी जनपदों में कुल 897 परियोजनाओं के अन्तर्गत 1,87,997 आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से यह संचालित है।
- प्रदेश के शेष 53 जनपदों में किशोरी शक्ति योजना संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत प्रत्येक ब्लाक पर 60 किशोरियों को चिन्हित कर 30–30 के दो बैच 03 दिवसीय स्वास्थ्य एवं पोषण प्रशिक्षण तथा 60 दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर इन किशोरियों से कार्य में सहयोग भी लिया जाता है। आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण प्राथमिकता पर कराये जाने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में मनरेगा, पंचायती राज एवं आई0सी0डी0एस0 विभाग के कन्वर्जेन्स के माध्यम से कुल 9,461 आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण का लक्ष्य है।
- राज्य के बच्चों का सर्वांगीण विकास उ0 प्र0 सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। बच्चों का शुरूआती जीवन, स्वास्थ्य एवं कुपोषण रहित होना अति आवश्यक है। उ0 प्र0 में 3 वर्ष से कम आयु के 39 प्रतिशत बच्चे अपनी आयु के अनुसार कम वजन के हैं तथा 46 प्रतिशत बच्चे औसत से कम कद के और 18 प्रतिशत बच्चे सूखापन से ग्रसित हैं। कुपोषण के निवारण हेतु समन्वित प्रयासों के लिए राज्य पोषण मिशन का गठन किया गया है।
- राज्य पोषण मिशन के अन्तर्गत सभी जनपदों में कुल 7,000 गांवों को मण्डल एवं जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा गोद लेते हुए पोषण कार्यक्रमों का गहन अनुश्रवण किया जा रहा है। राज्य पोषण मिशन के अन्तर्गत 5 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण की पहचान हेतु अभियान चलाकर 2 करोड़ 20 लाख बच्चों का वजन किया गया तथा लगभग 22 लाख अतिकुपोषित बच्चों की पहचान की गयी। इसके अतिरिक्त मातृत्व सप्ताह अभियान के अन्तर्गत लगभग 14 लाख गर्भवती महिलाओं की जांच की गयी तथा लगभग 1 लाख अति जोखिम वाली गर्भवती महिलायें चिन्हित की गयी हैं। चिन्हित अति कुपोषित बच्चों को पका–पकाया खाना, फल एवं देशी घी दिया जा रहा है एवं गर्भवती महिलाओं को गर्म पका–पकाया भोजन एवं दूध/दही व फल दिया जा रहा है। मिशन की आगामी रणनीति के अन्तर्गत गोद लिये ग्राम एवं ओ0डी0एफ0 ग्रामों को प्राथमिकता के आधार पर कुपोषण मुक्त बनाना प्रस्तावित है।

उच्च शिक्षा विभाग

- प्रदेश में उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अतिरिक्त 16 राज्य विश्वविद्यालय, एक–एक मुक्त विश्वविद्यालय तथा डीम्ड विश्वविद्यालय, 27 निजी विश्वविद्यालय, 158 राजकीय महाविद्यालय, 331 अनुदान

सूची पर अशासकीय महाविद्यालय तथा 4689 स्ववित्तपोषित अशासकीय महाविद्यालय संचालित हैं।

- वर्तमान में राज्य विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता सुधार हेतु मापदण्डों को लागू किया जाना, पाठ्यक्रमों का परिवर्द्धन करते हुए समस्त राज्य विश्वविद्यालयों में समान रूप से लागू किया जाना, शैक्षिक प्रमाण–पत्रों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने हेतु आधार से लिंक किया जाना, शैक्षिक कैलेण्डर के अनुसार सत्र का संचालन नियमित किया जाना, नकल विहीन परीक्षा सम्पन्न कराया जाना, सम्बद्धता की प्रक्रिया को आनलाइन किया जाना एवं समान शिक्षण शुल्क का निर्धारण राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान द्वारा सभी राजकीय महाविद्यालयों को डिजिटल लाइब्रेरी में परिवर्तित करने की दिशा में लाइब्रेरी आटोमेशन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उच्च शिक्षा विभाग के डायनेमिक बेवसाइट का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

बेसिक शिक्षा विभाग

- वित्तीय वर्ष 2017–18 में परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं को निःशुल्क यूनीफार्म एवं स्कूल बैग के अतिरिक्त जूता, मोजा एवं स्वेटर उपलब्ध कराये जाने की योजना प्रस्तावित है।
- पिछड़े विकास खण्डों में अपवंचित एवं कमजोर वर्ग की बालिकाओं के लिए कक्षा 6–8 तक की निःशुल्क आवासीय शिक्षा हेतु 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित किये गये जिनमें कुल 73,203 बालिकायें शिक्षा ग्रहण कर रही हैं।
- वित्तीय वर्ष 2016–17 में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा हेतु 10 माह के 119 आवासीय एक्सीलेरेटेड लर्निंग कैम्प का संचालन किया गया जिनमें 6,440 दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित बच्चों को आवासीय शिक्षा सुविधा से लाभान्वित किया गया। प्रदेश में 17,090 बच्चों को निःशुल्क उपकरण उपलब्ध कराये गये। इसके अतिरिक्त 3,614 दृष्टिहीन बच्चों को ब्रेल लिपि में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरित की गयी।
- कक्षा 1 से 3 तक की पाठ्य पुस्तकों का पुनरीक्षण वर्ष 2016–17 में किया गया था। वर्ष 2017–18 में कक्षा 4 से 8 तक के सभी विषयों की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनरीक्षण किया जाना है, जिसके आधार पर पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तिकाओं तथा शिक्षक संदर्शिकाओं का विकास कराया जायेगा।
- साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित लोक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से पंजीकृत असाक्षरों को बेसिक साक्षरता प्रदान करते हुए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान भारत सरकार द्वारा आयोजित साक्षरता परीक्षा में 133.53 लाख प्रतिभागियों को सम्मिलित कराया गया है, जिसमें अभी तक 102.37 लाख प्रतिभागी सफल हुए हैं। सफल प्रतिभागियों का प्रतिशत 76.66 प्रतिशत है।

आगामी परीक्षा हेतु 30 लाख प्रतिभागियों को सम्मिलित कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

किसी भी समाज में युवाओं का विकास उसके सफल एवं सुखद भविष्य की नींव के समान होता है और प्रदेश सरकार इस नींव को मजबूत करने के दृष्टिगत युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण प्रदान कराते हुए उन्हें प्रदेश के विकास में भागीदार बनाने के लिए कटिवद्ध है। कौशल विकास नीति के अन्तर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना के अवशेष समय से अधिक से अधिक युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के योग्य बनाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा अनेक योजनाओं की शुरूआत है।

वर्तमान में उ0 प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न कौशल विकास योजनाओं को एकीकृत कर मानकीकृत व्यवस्था में निःशुल्क रूप से चलाया जा रहा है। उ0 प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा वर्तमान में 06 विभागों की योजनाओं का सफल संचालन किया जा रहा है, इन समस्त योजनाओं में सम्पूर्ण प्रशिक्षण एवं सफल मूल्यांकन के उपरान्त प्रशिक्षार्थियों को राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त प्रमाण–पत्र देने व उन्हें रोजगार से जोड़ने की व्यवस्था का भी प्राविधान है।

उ0 प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को वृहत् स्तर पर संचालित करने के साथ–साथ प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान तक प्रगतिमान पंचवर्षीय योजना 2012–2017 के प्रथम चार वर्षों में प्रदेश की असेवित तहसीलों/विकास खण्डों में 80 नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को स्थापित कर सुदूर क्षेत्रों के युवाओं को उनके द्वार पर ही कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। विगत 03 वर्षों में पूर्व से संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में लगभग 38000 सीटों का विस्तार कर प्रदेश के नौजवानों को राष्ट्रीय स्तर के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की सुविधा प्रदान करने का कार्य किया है। सीटों में विस्तार के इस कार्य के आगामी चरण में वृद्धि हुई सीटों के लिए एन0सी0वी0टी0 का सम्बन्धन प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है, जिससे कि प्रवेशित होने वाले समस्त प्रशिक्षार्थियों को एन0सी0वी0टी0 का प्रमाण–पत्र प्राप्त हो सके।

चिकित्सा शिक्षा

चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रदेश में न केवल मेडिकल तथा पैरा मेडिकल क्षेत्र में शिक्षण/प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, बल्कि प्रदेश की जनता को उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवायें भी उपलब्ध करायी जाती हैं। प्रदेश की जनता को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा प्रदान करने एवं चिकित्सा शिक्षकों तथा चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा 25 नये मेडिकल कालेज एवं प्रदेश के 06 क्षेत्रों में एक एम्स स्तर का संस्थान स्थापित किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है।

प्रदेश सरकार द्वारा जनपद गोरखपुर में एम्स की स्थापना हेतु 112 एकड़ भूमि, जिसका कुल अनुमानित मूल्य रु0 768.91 करोड़ है, भारत सरकार को निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने हेतु भारत सरकार को एम0ओ0यू0 उपलब्ध करा दिया गया है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समस्त राजकीय/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय/संस्थानों एवं प्रदेश में स्थित

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्टेट कोटा की समस्त स्नातकोत्तर (एम0डी0/एम0एस0/एम0डी0एस0/डिप्लोमा) सीटों पर आन लाइन रजिस्ट्रेशन/काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश दिया जा रहा है। प्रदेश में प्रथम बार आन लाइन काउंसिलिंग की यह प्रक्रिया दिनांक 08.03.2017 से प्रारम्भ की गयी है। इस प्रक्रिया से मेडिकल कालेजों में पी0जी0 सीटों की दाखिले में सरलता, सुगमता एवं पारदर्शिता आयी है। प्रदेश में प्रथम बार निजी क्षेत्र के सभी (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर) मेडिकल/डेण्टल कालेजों/विश्वविद्यालयों के पी0जी0 कोर्सेज के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है। प्रदेश के वर्ष 2017 में मेडिकल काउसिंल आफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा चिकित्सा विश्वविद्यालय/स्वायत्तशासी संस्थान/राजकीय मेडिकल कालेजों में 133 पी0जी0 सीटों की वृद्धि की गई तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 98 सीटों की वृद्धि हेतु कार्यवाही की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में आगामी शैक्षणिक सत्र 2018–19 से 150 एम0बी0बी0एस0 छात्रों के प्रवेश की कार्यवाही की जा रही है।

प्राविधिक शिक्षा विभाग

प्रदेश में वर्तमान में 145 पालीटेक्निक (126 राजकीय पालीटेक्निक एवं 19 अनुदानित पालीटेक्निक) संस्थायें संचालित हैं, जिनकी प्रवेश क्षमता 37,170 है। आगामी शैक्षिक सत्र में ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकों के अनुरूप 10 नवीन पालीटेक्निक संस्थाओं में कक्षाओं का संचालन प्रारम्भ किये जाने का लक्ष्य है। प्रौद्योगिक प्रगति एवं औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्चाओं में परिवर्धन/परिमार्जन किया जायेगा तथा संस्थाओं को आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुसार साज–सज्जा/संयंत्र उपलब्ध कराये जायेंगे।

2–वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में सोलर रूफटाप पावर प्लान्ट पालिसी को अंगीकृत कर पालीटेक्निकों एवं इंजीनियरिंग कालेजों में सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना की जायेगी। शिक्षण–प्रशिक्षण की आधुनिक प्राविधियों को अंगीकृत करते हुए वेब पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के राजकीय पालीटेक्निकों में ''वर्चुअल क्लास रूम'' स्थापित किये जा रहे हैं। प्रदेश के समस्त राजकीय पालीटेक्निकों में महिलाओं के लिए शत–प्रतिशत छात्रावासीय सुविधा उपलब्ध करायी जायेंगी। समस्त पालीटेक्निक कालेजों में निःशुल्क वाई–फाई की सुविधा 01 जी0बी0 डाटा प्रति छात्र प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा।

उद्योग

(1) विगत कई वर्षों से प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था एवं पर्याप्त विद्युत आपूर्ति न होने के कारण औद्योगिक निवेश नहीं हो सका। वर्तमान सरकार सुदृढ़ कानून व्यवस्था एवं 24 घण्टे निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायेगी।

(2) वर्तमान सरकार द्वारा निवेशकों को प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु आकर्षित करने के लिए 100 दिन के अन्दर नयी औद्योगिक निवेश नीति प्रख्यापित करके लागू की जायेगी। उद्योगों की स्थापना के लिए निजी पूंजी निवेश हेतु दिये जाने वाले प्रोत्साहन को सृजित होने वाले रोजगार की संख्या से जोड़ते हुए नई नीति को रोजगारपरक बनाया जायेगा जिससे बेरोजगार युवाओं की आशाओं को औद्योगिक विकास के जरिये पूर्ण किया जा सकेगा।

(3) प्रदेश में उद्योगों की स्थापना एवं इस हेतु पूंजी निवेश की प्रक्रियाओं को सरलीकृत एवं पारदर्शी बनाते हुए मा0 मुख्य मंत्री के सीधे नियंत्रण में सिंगल विण्डो क्लीयरेन्स तन्त्र का गठन किया जायेगा जिससे कम से कम समय में उद्योग स्थापित करने हेतु आवश्यक क्लीयरेन्स जारी किया जा सकेगा। पूंजी निवेश को और गति प्रदान करने के लिए प्रदेश में औद्योगिक निवेश बोर्ड का गठन किया जायेगा। निवेश को आकर्षित करने हेतु ग्लोबल बिजनेस समिट का आयोजन भी किया जायेगा।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग

हथकरघा उद्योग कृषि क्षेत्र के बाद उ0 प्र0 का सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेन्द्रीकृत कुटीर उद्योग है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में 25,000 (पच्चीस हजार) हथकरघा बुनकरों हेतु रोजगार सृजन का लक्ष्य है। रोजगार सृजन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकार स्तर पर कोई योजनायें निर्माणाधीन हैं।

इन नई योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार बुनकरों को नये करघे, सहवर्ती उपकरण तथा कच्चा माल यथा–सूत एवं रंग रसायन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर 25,000 बुनकरों के स्वरोजगार सृजन का लक्ष्य पूरा करेगी।

कड़ी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण हथकरघा बुनकरों की औसत दैनिक आय अत्यन्त कम है तथा उनके सहायक कर्मियों (सहायक बुनकरों) की आय और भी कम है, जिसके कारण उनकी बुनाई कार्य में रुचि नहीं रहती है। सहायक बुनकरों को अभिरुचि बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा नई योजना बनाकर उन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा। ई–कामर्स पोर्टल के माध्यम से बुनकरों के उत्पाद की बिक्री को बढ़ावा दिया जायेगा। उच्च गुणवत्तायुक्त वस्त्रों के उत्पादन तथा उसमें वृद्धि हेतु राज्य सरकार द्वारा हथकरघा एवं पावरलूम क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन के प्रयास किये जायेंगे। इससे उत्पादित होने वाले वस्त्र कम लागत में तैयार हो सकेंगे, जिससे बिक्री बढ़ेगी और बुनकरों की आय में वृद्धि होगी। इसके लिए नवीन योजनायें बनायी जायेंगी।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग

मेरी सरकार प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास तथा रोजगार सृजन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के महत्व को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की संरचना पर विचार कर रही है, जिससे प्रदेश के हस्तशिल्पियों के जीवन स्तर व उनकी आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार लाया जा सके।

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अन्तर्गत पारम्परिक स्वरोजगारियों हेतु रु0 1,000 करोड़ की निधि का सृजन बजट के माध्यम से प्रस्तावित है। पारम्परिक कारीगरों की रु0 10 लाख तक की इकाईयों की स्थापना तथा स्थानीय व्यापारों के प्रोत्साहन हेतु रु0 10 से 50 लाख तक की इकाईयों को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत रु0 50.00 लाख तक की परियोजनाओं के लिए युवाओं को सहायता दी जायेगी।
- प्रदेश के निर्यातपरक स्थानों पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त विपणन केन्द्रों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

- प्रदेश के हस्तशिल्प विक्रेताओं को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने हेतु सरकार समर्थित लाजिस्टिक के साथ ई–कामर्स पोर्टल की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।
- प्रदेश के 06 हस्तशिल्प क्षेत्रों में हस्तशिल्प प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थापित करके हस्तशिल्पियों को विनिर्माण, अनुसंधान एवं बाजार की समझ की आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है।
- प्रदेश के औद्योगिक परिवेश में आमूल–चूल परिवर्तन के दृष्टिकोण से तकनीकी उन्नयन योजना का उच्चीकृत किया जाना प्रस्तावित है।
- जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों को उच्चीकृत करते हुए आधुनिक जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।
- प्रदेश में उद्यम प्रोत्साहन हेतु उत्तर प्रदेश एस0एम0ई0 वेन्चर कैपिटल फण्ड की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।
- भारत सरकार की योजनाओं जैसे क्लस्टर विकास कार्यक्रम, ए स्कीम फार प्रमोटिंग इनोवेशन, रूरल इण्डस्ट्री एण्ड इनरपिन्यूरशिप (एस्पायर), पीएमईजीपी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी0एम0ई0जी0पी0) का त्वरित क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।
- प्रदेश की नयी औद्योगिक नीति वर्ष 2017 के माध्यम से बुन्देलखण्ड एवं पूर्वान्चल के क्षेत्रों में अधिकाधिक रोजगार सृजन के अवसर उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

नगर विकास विभाग

भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन तथा अटल मिशन फार रिजूवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन (अमृत) का क्रियान्वयन नगर विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत 02 अक्टूबर, 2019 तक सम्पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य निर्धारित है, स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के 13 शहरों का चयन किया गया है।

अटल मिशन फार रिजवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन (अमृत) के अन्तर्गत प्रदेश के 61 शहरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना है। अमृत के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में सीवरेज एवं जलापूर्ति हेतु रु0 7226. 71 करोड़ की परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें रु0 3047.07 करोड़ केन्द्रांश तथा रु0 4135.36 करोड़ राज्यांश व निकाय अंश सम्मिलित है। अमृत के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 के सुधारों को सफलतापूर्वक समयावधि में पूर्ण किये जाने पर शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को रुपये 63.47 करोड़ प्रोत्साहन राशि के रूप में प्राप्त हुई।

स्वच्छ भारत मिशन के लिए लेखानुदान बजट 2017–18 में रु0 600.00 करोड़, अटल मिशन फार रिजवूनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन (अमृत) के लिए रु0 700.00 करोड़ तथा स्मार्ट सिटी मिशन के लिए रु0 600.00 करोड़ का आय–व्ययक प्रावधान है।

प्रदेश की नदियों को प्रदूषण मुक्त किये जाने के उद्देश्य से क्रियान्वित नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश की नदियों गंगा, यमुना तथा गोमती के तट पर स्थित नगरों में नदी प्रदूषण नियंत्रण के कार्य कराये जा रहे हैं। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 के लेखानुदान में कुल रु0 15.00 करोड़ का आय–व्ययक प्रावधान किया गया है।

प्रदेश की नदियों को प्रदूषण मुक्त किये जाने के साथ ही साथ प्रमुख झीलों को भी प्रदूषण मुक्त किये जाने हेतु झील संरक्षण योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश की 4 झीलों/तालों यथा–रामगढ़ ताल (गोरखपुर नगर), मानसी गंगा ताल (गोवर्धन नगर, जनपद मथुरा), लक्ष्मी ताल (झांसी नगर) तथा मदनसागर ताल (महोबा नगर) की योजनायें प्रस्तावित की गयी हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 के लेखानुदान में 'झील संरक्षण योजना' हेतु रु0 20.00 करोड़ का आय–व्ययक प्रावधान है।

'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण' (एन0जी0आर0बी0ए0)/नमामि गंगे के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त होने वाली सहायता के सापेक्ष केन्द्रांश एवं राज्यांश के लिए वर्ष 2017–18 के लेखानुदान में रु0 250.00 करोड़ का प्रावधान हैं इसके अन्तर्गत प्रथमतः गंगा नदी के किनारे 26 नगर एवं इसकी मुख्य सहायक काली नदी के किनारे 03 नगर व रामगंगा नदी के किनारे 02 नगरों को चिन्हित किया गया है। उक्त के अन्तर्गत इलाहाबाद नगर की 07, वाराणसी की 02 एवं गढ़मुक्तेश्वर, अनूप शहर, नरौरा, मुरादाबाद, कन्नौज, बिठुर की एक–एक परियोजनायें अर्थात् कुल 17 परियोजनायें लागत रुपये 2742.99 करोड़ भारत सरकार से स्वीकृत है, इनसे कुल 335.90 एमएलडी शोधन क्षमता गंगा नदी के प्रदूषण को रोकने हेतु विकसित होगी। वर्तमान में नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा के किनारे स्थित प्रदेश के विभिन्न नगरों के नदी में मिलने वाले नालों के इण्टरसेप्शन व डाइवर्जन तथा सीवेज शोधन संयंत्र के कार्य की योजनायें नेशनल मिशन क्लीन गंगा एनएमसीजी द्वारा अनुमोदन हेतु प्रस्तावित की जा रही है।

आगरा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध शहर है। यहां उचित गुणवत्ता का कच्चा जल उपलब्ध नहीं है। इस समस्या के दीर्घकालिक निदान हेतु अपर गंगा कैनाल के पलरा हेडवर्क्स (बुलन्दशहर) से गंगा जल को आगरा नगर तक लाये जाने हेतु आगरा पेय जलापूर्ति परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। परियोजना के तहत 130 किमी0 लम्बी पाइप लाइन द्वारा 150 क्यूसेक (368 एम0एल0डी0) कच्चा जल लाये जाने का प्रस्ताव है।

प्रदेश में जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईजी एवं यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्श में स्वीकृत सीवरेज, जलापूर्ति, ड्रेनेज, नगरीय परिवहन, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की क्रमशः 33 व 64 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के लेखानुदान बजट में इन दोनों कार्यान्शों हेतु क्रमशः रु0 85.74 करोड़ तथा रु0 50.00 करोड़ का प्रावधान है।

आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के लेखानुदान में रु0 200.00 करोड़, नगरीय सीवरेज योजना हेतु रु0 50.00 करोड़, नगरीय पेयजल कार्यक्रम के लिए रु0 125.00 करोड़, नगरीय सड़क सुधार योजना के लिए रु0 125.00 करोड़ तथा नगरीय जल निकासी योजना के लिए रु0 125.00 करोड़, कान्हा पशु आश्रय योजना हेतु रु0 30.00 करोड़, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना हेतु रु0 50.00 करोड़, नगरीय झील/तालाब/पोखर संरक्षण योजना हेतु रु0 50.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य सेक्टर में ही क्रियान्वित प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्थित अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु क्रियान्वित योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में लेखानुदान के तहत रु0 100.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 के लेखानुदान में रु0 75.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

नागर स्थानीय निकायों को उनके क्षेत्रान्तर्गत अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं तात्कालिक आवश्यकता के कार्यों हेतु उनकी मांग पर ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत करने हेतु नया सवेरा नगर विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस हेतु लेखानुदान बजट 2017–18 में रु0 450.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग

- **दीनदयाल अन्त्योदय योजना–**राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डी0–एन0यू0एल0एम0) प्रदेश के चयनित 82 शहरों में संचालित की जा रही है तथा 50 नये शहरों में भी योजना का क्रियान्वयन प्रस्तावित है। उक्त योजना में केन्द्रीय सहायता 60 प्रतिशत होगी और 40 प्रतिशत राज्य द्वारा वहन किया जायेगा।

- **प्रधानमंत्री आवास योजना–**सबके लिए आवास (शहरी) मिशन का भारत सरकार द्वारा शुभारम्भ दिनांक 25–06–2015 को किया गया है। उक्त योजना में केन्द्रीय सहायता 60 प्रतिशत तथा प्रदेश सरकार का अंश 40 प्रतिशत निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में उक्त योजना हेतु रु0 277.00 करोड़ का प्रावधान था, जिसके सापेक्ष रु0 37.48 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है। इसके अतिरिक्त 32 डी0पी0आर0 भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये हैं एवं शेष परियोजनाओं के डी0पी0आर0 स्वीकृति हेतु भारत सरकार के विचाराधीन हैं। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में 2 लाख लाभार्थियों के स्वयं आवास निर्माण हेतु प्रति आवास भारत सरकार से रु0 1.50 लाख एवं राज्य सरकार से 1.00 लाख तथा 2 लाख भागीदारी में किफायती आवास घटक में केन्द्र सरकार द्वारा रु0 1.50 लाख तथा राज्य सरकार द्वारा रु0 1.00 लाख प्रति आवास अनुदान धनराशि देय है।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

वर्तमान सरकार के लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में गरीब कल्याण कार्ड के आधार पर 01 करोड़ से अधिक परिवारों को बिजली, पानी और शौचालय के साथ पक्के

मकानों के निर्माण के लिए रु0 6 लाख तक आवास ऋण रियायती दरों पर दिये जाने की वचनबद्धता है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री आवास योजना का एक घटक है, जिसे आवास विभाग द्वारा संचालित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषदों द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 02 लाख मकान बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसकी कार्य योजना तैयार की जा रही है।

- इसके अतिरिक्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब आवास योजना भी राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जानी प्रस्तावित है। इस योजना के तहत गरीब कल्याण कार्ड धारकों के आधार पर 01 लाख पात्र लाभार्थियों के लिए रु0 2 लाख की लागत के 30 वर्ग मी0 के आवास भी निर्मित किये जायेंगे। इस योजनान्तर्गत सभी विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषदों तथा सभी स्थानीय निकायों तथा नगर निगम, नगर पालिका परिषद् तथा नगर पंचायतों को सम्मिलित किया जायेगा।
- यातायात समस्या के स्थायी समाधान हेतु जनहित में प्रदेश के विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल चलाये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण के अन्तर्गत लखनऊ मेट्रो परियोजना फेस–1ए (नार्थ–साउथ कारीडोर) की डी0पी0आर0 भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। सम्पूर्ण नार्थ–साउथ कारीडोर की निर्माण लागत रु0 6,880 करोड़ है। डी0पी0आर0 के अनुसार इसके पूर्ण होने की अवधि मार्च, 2019 निर्धारित है। लखनऊ मेट्रो परियोजना फेस–1ए (नार्थ–साउथ कारीडोर) के प्राथमिक सेक्शन के अन्तर्गत ट्रान्सपोर्ट नगर से चारबाग तक का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 को इस प्रायरिटी कोरीडोर का ट्रायल रन किया जा चुका है। ट्रायल रन एवं सी0आर0एस0 स्वीकृति के उपरान्त प्रायरिटी कारीडोर पर यात्रियों के लिए सेवायें शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेंगी।
- इसके अतिरिक्त प्रदेश के 06 अन्य महानगरों–कानपुर नगर, आगरा, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद एवं गोरखपुर में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन कराये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें वाराणसी एवं कानपुर का डी0पी0आर0 तैयार कराया जा चुका है एवं अन्य शहरों में का डी0पी0आर0 तैयार किये जाने हेतु भारत सरकार की संस्था राईट्स को नामित किया गया है।
- लखनऊ में 50 हजार दर्शकों की क्षमता वाले अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम एवं क्रीड़ा संकुल का निर्माण पी0पी0पी0 मोड पर कराया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत विकासकर्ता द्वारा स्टेडियम निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें वर्तमान वित्तीय वर्ष में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट मैच कराया जाना प्रस्तावित है।

वित्त विभाग

- वर्तमान में कोषागार में बिल प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था है, जिसमें सम्बन्धित विभाग के किसी कर्मी को निर्धारित प्रपत्र पर बिल के साथ कोषागार जाना होता है। बिल के साथ कोषागार तक किसी कर्मी के आने की प्रक्रिया को समाप्त

करने हेतु कोषागार पोर्टल के माध्यम से डी0डी0ओ0 द्वारा वेब–बेस्ड बिल बना कर आनलाइन भेजे जाने की व्यवस्था की गयी है। यह समस्त प्रक्रिया आनलाइन है तथा इसमें कोषागार को जाकर बिल जमा करने की आवश्यकता नहीं है। वित्त विभाग द्वारा इस प्रक्रिया को शत–प्रतिशत विभागों में यथाशीघ्र लागू किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

- प्रदेश की परियोजनाओं के सम्बन्ध में विविध कारणों से समय से परियोजना के पूर्ण न होने के कारण परियोजना की लागत में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है, जिससे प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर भार बढ़ता जाता है। उल्लेखनीय है कि परियोजना के एम0ओ0यू0 में समय सीमा का कोई उल्लेख नहीं होता। तद्हेतु कास्ट ओवर रन एवं 'टाइम ओवर रन' को समाप्त करने के उद्देश्य से परियोजनाओं को समय सीमा में पूर्ण करने हेतु निर्माण इकाइयों के साथ एम0ओ0यू0 होने के लिए गाइडलाइन्स जारी की जायेंगी।

आबकारी विभाग

- प्रदेश में संचालित चीनी मिलों में सह उत्पाद के रूप में उत्पादित शीरे का नियंत्रण आबकारी विभाग द्वारा किया जाता है। प्रदेश में 158 चीनी मिलें कार्यरत हैं जिनमें नवम्बर, 2016 से आरम्भ हुए पेराई सत्र में पेरे गये गन्ने से मार्च, 2017 तक 350.00 लाख कुन्तल शीरे का उत्पादन हुआ है।
- प्रदेश में अल्कोहल वर्ष 2016–17 में माह मार्च, 2017 तक 3301.54 लाख बल्क लीटर अल्कोहल का उत्पादन हुआ है जो गत वर्ष की इसी अवधि में हुए उत्पादन 3557.04 लाख बल्क लीटर के सापेक्ष 7.2 प्रतिशत कम है। इस उत्पादन का लगभग 55 प्रतिशत उपभोग प्रदेश में तथा 27 प्रतिशत का निर्यात किया गया है।

वाणिज्य कर

वाणिज्य कर विभाग प्रदेश शासन का कर राजस्व संग्रह का विभाग है। इसका मुख्य कार्य वाणिज्य कर राजस्व की वसूली तथा करापवंचन की प्रभावी रोकथाम है। विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना लागू है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में 01 जुलाई, 17 से केन्द्र एवं राज्य स्तर पर नवीन कर प्रणाली गुड्स एण्ड सर्विसेज टैक्स (जी0एस0टी0) लागू किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें माल के उत्पादन, सप्लाई, खरीद, बिक्री व सेवा पर केन्द्र एवं राज्य स्तर पर लगाये जा रहे अनेक अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया है। जिसके क्रम में केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 तथा एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 केन्द्र द्वारा अधिनियमित कर दिये गये हैं। जी0एस0टी0 काउन्सिल द्वारा ड्राफ्ट स्टेट गुड्स एवं सर्विस टैक्स बिल 2017 राज्य को उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा राज्य द्वारा इसके अधिनियमित कराने की कार्यवाही प्रचलित है।

वर्तमान वैट व्यवस्था में विभाग में पंजीकृत व्यापारियों में 77.2 प्रतिशत व्यापारियों को जी0एस0टी0 व्यवस्था में माइग्रेशन कराने का कार्य पूर्ण हो चुका है। जी0एस0टी0 के क्रियान्वयन हेतु जी0एस0टी0 के डाटा सेन्टर तथा स्टेट सेन्टर लखनऊ के मध्य कनेक्टिविटी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जी0एस0टी0 के सुचारु संचालन हेतु आई0टी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण संबंधी कार्यवाही पूर्ण करायी जा रही है। विभागीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों को जी0एस0टी0एन0 संबंधी प्रशिक्षण का कार्य जी0एस0टी0 लागू होने के पूर्व पूर्ण कर लिया जायेगा। व्यापारियों, अधिवक्ताओं एवं स्टेक होल्डर्स को भी सेमीनार तथा वर्कशाप कराकर जी0एस0टी0 के प्रावधानों व जी0एस0टी0एन0 प्रणाली से अवगत कराये जाने संबंधी प्रशिक्षण की कार्यवाही प्रचलित है।

जी0एस0टी0 से पूरा देश एक बाजार बन जायेगा अर्थात् कर की दरें पूरे देश में लगभग एक समान होगी। पूरे देश में जी0एस0टी0 का लगभग एक जैसा कानून होगा, जिससे केवल बिलों पर ही माल का परिवहन होगा। अतः आयात घोषणा पत्र आदि की आवश्यकता नहीं होगी। अलग–अलग राज्यों के अलग–अलग नियमों से छुटकारा मिलेगा। अभी तक व्यापारी को केवल अपने प्रदेश से खरीदे गये माल पर ही इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0टी0सी0) मिलती है जबकि जी0एस0टी0 के अन्तर्गत पूरे देश में कहीं से भी माल अथवा सेवा लिए जाने पर आई0टी0सी0 मिलेगी। जी0एस0टी0 के समस्त कार्य आनलाइन हो जाने के कारण व्यापारी को किसी सरकारी कार्यालय में बार–बार आने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

मनोरंजन कर विभाग

सिनेमा/मल्टीप्लेक्स राज्य का आर्थिक स्रोत होने के साथ–साथ मनोरंजन का सस्ता साधन भी है और इस साधन को सर्वसाधारण के मनोरंजन के लिए उपलब्ध कराया जाना शासन का उत्तरदायित्व है। मनोरंजन कर विभाग का मुख्य कार्य आमोद एवं पणकर की वसूली एवं यह सुनिश्चित करना है कि इस दिशा में कोई करापवंचन न हो। विभाग मनोरंजन के साधनों में जनसुविधा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से लाइसेंस/अनुमति प्रदान करता है। प्रदेश में मल्टीप्लेक्स प्रोत्साहन योजना वर्ष 2015 के अन्तर्गत प्रदेश में नये मल्टीप्लेक्सों के निर्माण को प्रोत्साहन देने की योजना वर्ष 1999 से संचालित है, जिसे दिनांक 31–03–2020 तक विस्तारित किया गया है।

- नगर निगमों, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा के मल्टीप्लेक्स को संग्रहीत मनोरंजन कर का प्रथम वर्ष में 100 प्रतिशत, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में 75 प्रतिशत तथा चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में 50 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था है।
- अन्य स्थानीय क्षेत्रों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में 100 प्रतिशत, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में 75 प्रतिशत का अनुदान की व्यवस्था है।

आगामी 100 दिनों में किये जाने वाले कार्य के अन्तर्गत जी0एस0टी0 के लागू होने के दृष्टिगत मनोरंजन कर विभाग का जी0एस0टी0 में संविलयन करते हुए पुनर्गठन प्रस्तावित है।

बन्द सिनेमाओं को खोलने, वर्तमान में संचालित सिनेमाओं को अधिक लाभप्रद बनाने तथा नये सिनेमा/मल्टीप्लेक्स के निर्माण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से समग्र नीति बनायी जानी प्रस्तावित है।

स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग

स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग का मुख्य उद्देश्य अचल सम्पत्ति के स्वामित्व से संबंधित लेखपत्रों का निबन्धन व उसे चिरकाल तक अभिरक्षक के रूप में सुरक्षित रखना है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में विभाग के लिए निर्धारित राजस्व प्राप्ति लक्ष्य रुपये 16320 करोड़ के सापेक्ष रु0 11613.84 करोड़ के राजस्व प्राप्ति हुई। वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु रु0 17458.34 करोड़ की राजस्व प्राप्ति लक्ष्य निर्धारित है जिसे शत–प्रतिशत प्राप्ति हेतु प्रयास किये जायेंगे। जनसेवा के दृष्टिकोण से स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है। वर्ष 2015–16 में लगभग 29 लाख 43 हजार लेखपत्र विभाग द्वारा निबन्धित किये गये एवं लगभग डेढ़ करोड़ लोगों ने विभाग की सेवाओं का लाभ प्राप्त किया। इस प्रकार विभाग प्रदेश की जनसंख्या का एक बड़े हिस्से को प्रतिवर्ष सेवा प्रदान करता है।

विभाग का मुख्य ध्येय यह है कि जनसामान्य जो इस विभाग की सेवा प्राप्त करते हैं, उनको पारदर्शी, त्वरित, आधुनिक, सरल एवं भ्रष्टाचार मुक्त सेवा प्राप्त हो। अतः विभाग का लक्ष्य राजस्व अर्जन के साथ–साथ जनता को बेहतर सेवा प्रदान करना भी है। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में जनसामान्य को आधुनिकतम तकनीकी तथा सरलीकरण प्रक्रिया द्वारा विश्वस्तरीय कम्प्यूटर आधारित सेवायें उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। विभाग का यह प्रयास है कि जनता को अपने विलेखों के पंजीयन कराने में अधिक समय न लगे।

बैंकिंग

प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रत्येक परिवार को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के संबंध में भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलाये गये वित्तीय संशोधन कार्यक्रम/प्रधानमंत्री जनधन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 05 अप्रैल, 2017 तक 4.38 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं जिसके सापेक्ष 3.48 करोड़ खातों के रूपे डेविट कार्ड जारी किये जा चुके हैं। इनमें से 2.65 करोड़ खातों को आधार कार्ड से जोड़ा जा चुका है। समस्त खातों को आधार कार्ड से जोड़ने एवं रूपे डेबिट कार्ड एक्टिवेट करने हेतु वित्तीय साक्षरता अभियान के अन्तर्गत विशेष कैम्पों का आयोजन कराया जायेगा।

सिंचाई विभाग

किसान और गरीब जनता का विकास वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है। मेरी सरकार कृषकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है एवं उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु तत्परता से प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 240.96 लाख हे0 है, जिसमें से 188.40 लाख हे0 कृषि योग्य है तथा 165.73 लाख हे0 पर खेती होती है, जिसमें लगभग 88.42 लाख हे0 दो फसली क्षेत्र है। इस प्रकार रबी एवं खरीफ

मिलाकर प्रदेश का बोया गया क्षेत्रफल 254.15 लाख हे0 है। प्रदेश में 74659.57 किमी0 लम्बी नहर प्रणालियों एवं 33375 राजकीय नलकूपों, 28 पम्प नहरों, 250 लघु डाल नहरों एवं 69 जलाशयों से लगभग 79.00 लाख हे0 क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में ऊपरी गंगा नहर, पूर्वी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, मध्य गंगा नहर, शारदा नहर, गण्डक नहर, शारदा सहायक नहर, अपर यमुना नहर, सरयू नहर, बेतवा नहर, अपर आगरा नहर आदि प्रमुख नहर प्रणालियां है। सिंचाई साधनों में उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु प्राकृतिक जल संसधानों का उपयोग कर वृहद्, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के सृजन एवं निर्माण हेतु सिंचाई विभाग निरन्तर प्रयासरत है।

मुख्य एवं मध्यम सिंचाई की 09 चालू परियोजनाओं यथा सरयू नहर, वाणसागर नहर, अर्जुन सहायक नहर, मध्यगंगा नहर, द्वितीय चरण, भौरट बांध, कनहर, ऐरच बहुउद्देशीय, जिरगों हुसैनपुर लिंक नहर एवं जसौली पम्प कैनाल परियोजना को पूर्ण करने हेतु रु0 12,512.73 करोड़ की आवश्यकता होगी। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर 6.00 लाख हे0 अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित होगी।

ए0आई0बी0पी0 (त्वरित सिंचाई लाभ योजना)/पी0एम0के0एस0वाई0 (प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना) के अन्तर्गत कुल 04 परियोजनायें चल रही है, जिनके कार्यों की लागत रु0 14090.84 करोड़ है। इन परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु प्रस्तावित धनराशि रु0 10439.808 करोड़ है। इन परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2016–17 में अर्जुन सहायक परियोजना में रु0 8.99 करोड़, सरयू नहर परियोजना में रु0 62.00 करोड़ एवं बाणसागर नहर परियोजना में रु0 64.6370 करोड़ की धनराशि प्राप्त हो गयी है। ए0आई0बी0पी0 अन्तर्गत सरयू नहर परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना), बाणसागर नहर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना एवं मध्य गंगा नहर द्वितीय चरण परियोजना है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में सोडिक ड्रेनों अनुरक्षण हेतु धनराशि रु0 1210.00 लाख की बजट व्यवस्था थी, जिसके अन्तर्गत रु0 1210.00 लाख धनराशि आवंटित की गई, जिसके द्वारा सोडिक ड्रेनों के अनुरक्षण का कार्य किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश का लगभग 73.36 लाख हे0 क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, जो देश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 346.16 लाख हे0 का लगभग 21 प्रतिशत है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के सापेक्ष 14.64 लाख हे0 वन व अन्य क्षेत्र है तथा 58.72 लाख हे0 को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। अब तक प्रदेश के कुल 22.24 लाख हे0 क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षित किया जा सका है। आगामी 05 वर्षों में लगभग 3.00 लाख हे0 अतिरिक्त क्षेत्र को तटबन्ध निर्माण एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य कराकर सुरक्षित किया जाना प्रस्तावित है।

लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 के अनुरूप सिंचाई विभाग द्वारा कराये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य

- प्रदेश के हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए रु0 20000 करोड़ के कोष के साथ मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई फण्ड की स्थापना की जायेगी।

- बुन्देलखण्ड के सूखा–ग्रस्त इलाकों तक सिंचाई योजनाओं को पहुंचाने के लिए इस फण्ड में राशि का अलग से प्राविधान किया जायेगा।
- केन–बेतवा नदी जोड़ो परियोजना पर काम प्राथमिकता से शुरू किया जायेगा।
- प्रदेश की सभी ठप पड़ी ए0आई0बी0पी0 योजनाओं (जैसे बाणसागर नहर, कचनौदा बांध, मध्यगंगा नहर परियोजना स्टेज–2, अर्जुन सहायक परियोजना आदि) को तीव्र गति से पूरा किया जायेगा।
- 50 लाख किसानों को ड्रिप एवं स्प्रिकंलर सिंचाई योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जायेगा।
- तालाबों का संरक्षण एवं पुनरोद्धार सुनिश्चित करने के लिए तालाब विकास प्राधिकरण की स्थापना की जायेगी।
- प्रदेश की मौजूदा सिंचाई योजनाओं की खाली पड़ी क्षमता का पूरा इस्तेमाल किया जायेगा।
- बाढ़ की विभीषिका से बचाव के लिए नदियों एवं बांधों की डी–सिल्टिंग एवं नये बांधों के निर्माण की व्यवस्था की जायेगी।

सिंचाई (यांत्रिक)

वर्तमान में प्रदेश में 33375 राजकीय नलकूप एवं 250 लघु डाल नहरों से कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। उक्त के अतिरिक्त सिंचाई (यांत्रिक) विभाग द्वारा 28 वृहद् एवं मध्यम पम्प नहरों के शीर्ष कार्य का रख–रखाव/संचालन किया जा रहा है तथा इन वृहद एवं मध्यम पम्प नहरों की जल वितरण प्रणाली का रख–रखाव एवं सींच दर्ज करने का कार्य सिंचाई विभाग के सिविल संगठन द्वारा किया जाता है। 2000 हजार राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना (नाबार्ड पोषित) के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 110 राजकीय नलकूपों का निर्माण आगामी 02 वर्षों में कराया जायेगा तथा 6000 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण की परियोजना (नाबार्ड पोषित) के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 256 राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण कराया गया है एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 में 205 राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण कराया जायेगा। प्रदेश में स्थापित राजकीय नलकूपों को सौर ऊर्जा द्वारा संचालित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित राजकीय नलकूप निर्माण की परियोजना लागत रु0 1285.08 करोड़ का गठन किया गया है।

जनपद वाराणसी में 12 लघु डाल नहरों पर ब्रिक लाइनिंग की परियोजना (नाबार्ड पोषित) लागत धनराशि रु0 13.07 करोड़ का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग

1–निःशुल्क बोरिंग–लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु निःशुल्क बोरिंग की योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु क्रमशः रु0 5,000/– एवं रु0 7,000/– तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों हेतु रु0 10,000/– प्रति बोरिंग

तथा पम्पसेट स्थापना हेतु सामान्य श्रेणी के कृषकों के लिए क्रमशः रु0 4,500/– एवं रु0 6,000/– तथा अनुसूचित जाति/ जनजाति के कृषकों हेतु रु0 9,000/– का अधिकतम अनुदान अनुमन्य है व 25 प्रतिशत लाभार्थी को जल वितरण प्रणाली हेतु एच0डी0पी0ई0 पाइप की लागत का 50 प्रतिशत की सीमा तक का अनुदान अनुमन्य है।

2–मध्यम गहरी बोरिंग–(30 मीटर से 60 मीटर तक) गहरे नलकूप हेतु मध्यम गहरे नलकूप की योजनान्तर्गत कुल रु0 85,000/– जिसमें रु0 10,000/– प्रति बोरिंग जल वितरण प्रणाली की धनराशि सम्मिलित है तथा ऊर्जीकरण हेतु प्रति नलकूप रु0 0. 68 लाख अथवा जो भी कम हो अनुदान अनुमन्य है।

3–डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप–इस योजना में दो प्रकार के समूहों का गठन होता है तथा नलकूप निर्माण हेतु निम्नवत अनुदान अनुमन्य है–

(1) अनुसूचित जाति/जनजाति कृषक बाहुल्य समूह को रु0 5.00 लाख।

(2) सामान्य श्रेणी के कृषक बाहुल्य समूह को रु0 3.92 लाख।

नोट–उक्त धनराशि में जल वितरण प्रणाली एवं ऊर्जीकरण की धनराशि भी सम्मिलित है।

4–ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग चेकडैम निर्माण (जिला योजना)–प्रदेश के पठारी एवं अन्य क्षेत्रों में वर्षा जल का उपयोग सिंचाई के साथ भूगर्भ जल रिचार्जिंग हेतु विशेष रूप से बुन्देलखण्ड में नालों पर चेकडैम/चेकडैम कम रपटा बनाकर यह कार्य कराये जा रहे हैं। ये सामुदायिक योजना है तथा इसका रख–रखाव सम्बन्धित लाभार्थी समूह/ग्राम सभा द्वारा किया जाता है।

5–प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–

वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु नई योजनायें–

(1) आर0आई0डी0एफ0–22 के अन्तर्गत जनपद झांसी एवं सोनभद्र में ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग चेकडैमों का निर्माण की योजना।

(2) तालाबों की सुरक्षा, उनका विकास, संरक्षण, चिन्हीकरण, नवीनीकरण, पुनर्विकास, प्रबन्धन इत्यादि हेतु तालाब विकास प्राधिकरण का गठन।

लोक निर्माण विभाग

- मेरी सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश की सभी सड़कों को 15 जून, 2017 तक गड्ढामुक्त किया जायेगा। इसके लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 85,000 कि0मी0 सड़कों को गड्ढामुक्त किया जाना प्रस्तावित है एवं इसके लिए लगभग रु0 4,000.00 करोड़ की धनराशि व्यय होनी सम्भावित है। लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त अन्य विभाग जैसे गन्ना, मण्डी परिषद्, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 एवं ग्रामीण सम्पर्क मार्गों आदि को भी गड्ढा मुक्त किया जायेगा।
- विभाग के कार्यों में पारदर्शिता के लिए माफिया, गुण्डे तथा अपराधिक प्रवृत्ति के ठेकेदारों को पूरी तरह से रोका जाना है। इस उद्देश्य से गुण्डों, माफियाओं का हस्तक्षेप समाप्त करने हेतु समस्त कार्यों को दिनांक 01–04–2017 से ई–टेण्डरिंग के माध्यम से सम्पादित कराये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।

- प्रदेश के मुख्य पर्यटन स्थलों (लखनऊ, मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या, प्रयाग, विन्ध्याचल, नैमिषारण्य, चित्रकूट आदि) को 04 लेन मार्गों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।
- प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थलों के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलमेंट के साथ–साथ परिक्रमा मार्गों को विकसित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इससे पर्यटन स्थलों की प्रासंगिकता बढ़ाये जाने हेतु श्रीराम, श्रीकृष्ण, काशी व बुद्ध सर्किट को पूर्ण रूप से विकसित किया जायेगा।
- शहरों में वाहनों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि के फलस्वरूप यातायात बाधित हो जाता है। अतः शहरों के बाईपास का निर्माण भी चरणबद्ध रूप से कराया जाना प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश राज्य में नेशनल हाईवे का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। राष्ट्रीय राजमार्गों के रख–रखाव और नये राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में सहयोग किया जा रहा है। भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय से अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया जाना/नये राष्ट्रीय राजमार्ग चिन्हित कर भारत सरकार के सहयोग से विकसित किये जाने की कार्ययोजना तैयार की गई है। इसी क्रम में 29 राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बित एन0ओ0सी0 जारी कर दी गयी है।
- स्वतंत्रता प्राप्ति के 70 वर्ष बाद भी अभी तक प्रदेश के कई गांव पक्के सम्पर्क मार्गों से नहीं जुड़े हैं। सभी ग्रामों को योजनाबद्ध रूप से पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जाना प्रदेश के समेकित, सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु अनिवार्य है।
- प्रदेश में नदियों पर निर्माणाधीन सेतुओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जा रहा है। इसके लिए कार्य योजना भी बनाई गई है। नये सेतुओं का निर्माण पं0 दीन दयाल उपाध्याय के नाम से किया जायेगा। सेतु, एप्रोच मार्ग के निर्माण आदि को प्राथमिकता देते हुए इसके लिए दीर्घकालीन रणनीति बनाकर वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था की गई है।
- वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए लोक निर्माण विभाग हेतु लेखानुदान के माध्यम से वेतन एवं चालू कार्य के लिए रू0 14,026 करोड़ की धनराशि स्वीकृति की गयी है। प्रथम पांच माह में रू0 5,913 करोड़ की धनराशि व्यय हेतु स्वीकृत है।
- लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 के अनुसार प्रदेश के संतुलित विकास हेतु यथावश्यक वर्तमान सरकार द्वारा सड़कों, सेतुओं के निर्माण, पुनर्निमाण एवं अनुरक्षण आदि कार्यों के सम्पादन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 का आय–व्ययक तैयार किया जायेगा।
- पिछली सरकारों के विगत 14 वर्ष के कार्यों के संबंध में श्वेत पत्र लाया जायेगा।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा

सामान्य योजना में वित्तीय वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में कुल धनराशि रू0 848.43 करोड़ के सापेक्ष रू0 683.51 करोड़ व्यय करते हुए 2,437 भवनों,

200 पुलियों एवं 5,902 सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया एवं 1,524 भवनों, 84 पुलियों तथा 2,890 सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में फेज–9 के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 12 जनपदों में 166 मार्गों हेतु लम्बाई 304.95 किमी0 रु0 136.97 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई। जिसके सापेक्ष माह मार्च, 2017 तक रु0 123.86 करोड़ का व्यय करते हुए 159 मार्गों को पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष मार्गों का कार्य प्रगति में विभिन्न स्तर पर है।

- फेज–9 विश्वबैंक के अन्तर्गत 12 जनपदों के कुल 166 मार्गों जिनकी लम्बाई 304.95 किमी0 एवं लागत रु0 136.97 करोड़ है, जिसमें से 159 मार्गों पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष कार्य प्रगति के विभिन्न स्तर पर है। उपरोक्त फेज के अन्तर्गत नक्सल प्रभावित जिला सोनभद्र में 41 मार्गों की स्वीकृति प्राप्त हुई थी जिसकी लम्बाई 144.24 किमी0 है एवं जिसकी लागत रु0 54.54 करोड़ है। जिनमें से 13 मार्गों को अन्य विभागों द्वारा बना दिया गया है तथा शेष 28 मार्गों में से 21 मार्गों पर कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष 07 मार्गों के कार्य प्रगति के विभिन्न स्तर पर है।

- फेज–10 न्यूकनेक्टिविटी के अन्तर्गत 5 जनपदों में कुल 81 सम्पर्क मार्गों, जिनकी लम्बाई 127.69 किमी0 एवं लागत रु0 60.83 करोड़ है की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा 80 मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। शेष 01 मार्ग का कार्य प्रगति के विभिन्न स्तर पर है।

- उपरोक्त फेज–10 न्यू कनेक्टिविटी के अन्तर्गत ही नक्सल प्रभावित जिला मिर्जापुर में 49 सम्पर्क मार्ग, जिनकी लम्बाई 69.40 किमी0 एवं लागत रु0 24.13 करोड़ है की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है जिसमें 42 मार्गों का कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

- फेज–10 अपग्रेडेशन के अन्तर्गत 31 जनपदों में 532 सम्पर्क मार्गों, जिसकी लम्बाई 3019.23 किमी0 एवं लागत रु0 1162.32 करोड़ है, की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। जिनमें से 528 मार्ग पूर्ण कराये जा चुके हैं, शेष 04 मार्गों का कार्य प्रगति के विभिन्न स्तर पर है।

ऊर्जा विभाग

मेरी सरकार विद्युत क्षेत्र में सुधार हेतु दृढ़ता से संकल्पित है। प्रदेश की जनता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए तथा सुदूर क्षेत्रों तक उपभोक्ताओं को विद्युत संयोजन उपलब्ध कराने विशेषकर कृषकों को सिंचाई हेतु विद्युत की सुगमता तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के संकल्पों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसी अनुक्रम में भारत सरकार के साथ 24×7 पावर फार आल का प्रपत्र एक अभिनव उपक्रम के रूप में दिनांक 14 अप्रैल, 2017 को हस्ताक्षरित भी किया गया है। प्रदेश की जनता को अक्टूबर, 2018 से 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति उपलब्ध कराये जाने की योजना है।

- प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में 18 घण्टे ग्रामीण क्षेत्र में, 20 घण्टे तहसील एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा 24 घण्टे जनपद मुख्यालय, शहर एवं उद्योगों को विद्युत आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 330 से 340 एम0यू0 की विद्युत आपूर्ति उपभोक्ताओं को की जा रही है जो विगत वर्ष की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में सायं 07:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक रात्रिकालीन विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की गयी है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति में प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के अन्तर्गत राजकीय एवं निजी क्षेत्र तथा केन्द्रीय क्षेत्रों से कुल 22602 मेगावाट अनुबन्धित उत्पादन क्षमता नियोजित है, जिसके सापेक्ष लगभग 17355 मेगावाट विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित है, जो वर्तमान मांग के अनुरूप पर्याप्त है।

- भविष्य में विद्युत की आवश्यकता की पूर्ति हेतु राजकीय क्षेत्र की 1×660 मेगावाट हरदुआगंज विस्तार परियोजना, 2×600 ओबरा 'सी' विस्तार योजना तथा 2×660 मेगावाट जवाहरपुर परियोजना क्रियान्वयन में है तथा जनवरी, 2020 से अप्रैल, 2021 तक पूर्ण हो जायेंगी। इसी प्रकार संयुक्त क्षेत्र की 2×660 मेगावाट मेजा एवं 3×660 मेगावाट घाटमपुर परियोजना भी क्रियान्वयन में है। उक्त परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन अगस्त, 2017 तथा जून, 2020 से प्रारम्भ होना सम्भावित है।

- प्रदेश में बेहतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 765 केवीए के 2,400 केवीए के 17,220 केवीए के 95 तथा 120 केवीए के 371 उपकेन्द्र स्थापित हैं वर्तमान पारेषण क्षमता कुल 92556 एम0वी0ए0 है जो वर्तमान उपलब्ध विद्युत को पारेषण किये जाने हेतु पर्याप्त है। नियोजित आगामी अवधि के लिए पारेषण लाइनों एवं उपकेन्द्रों का यथा आवश्यक निर्माण भी कराया जा रहा है। वर्ष 2019 तक पारेषण क्षमता को 125088 मेगावाट तक बढ़ाया जाना लक्षित किया गया है। इसी प्रकार वर्तमान वितरण क्षमता 44677 एम0वी0ए0 को बढ़ाकर 52403 एम0वी0ए0 करना लक्षित है।

- प्रदेश में अभियान चलाकर ग्रामीण एवं शहरी उपभोक्ताओं को नये विद्युत संयोजन मीटर स्थापना के साथ किश्त में भुगतान के आधार पर निर्गत कराये जा रहे हैं। पुराने बकायों की वसूली हेतु एकमुश्त समाधान योजना (सक्रिय) घरेलू एवं नलकूपों पर 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी की सुविधा के साथ प्रभावी की गयी है तथा विद्युत चोरी रोकने के अभिनव प्रयास में सर्वदा योजना स्वयं चोरी व अनियमितता की घोषणा किये जाने के आधार पर विद्युत संयोजन को नियमित करने तथा विद्युत संयोजन निर्गत करने हेतु चलायी गयी है।

- उजाला योजना के अन्तर्गत विद्युत उपभोग में कमी लाकर विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता बढ़ाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत 24×7 पावर फार आल में 10 करोड़ एल0ई0डी0 बल्ब एवं पंखे उपभोक्ताओं को नामित संस्था ई0ई0एस0एल0 से समन्वय स्थापित कर वितरित कराया जाना भी लक्षित है तथा सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को बेहतर एवं निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने हेतु महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं। जैसे क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को बदलने के समय को 72 घण्टे से घटाकर 48 घण्टे निर्धारित किया गया है।

- केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना) अन्तर्गत मार्च, 2017 तक 87889 मजरों तथा 1467 गैर विद्युतीकरण गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। अवशेष कार्यों को चालू वर्ष में 80 प्रतिशत तथा आगामी वर्ष 20 प्रतिशत पूर्ण करना लक्षित है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में आईपीडीएस योजना के अन्तर्गत एटी एण्ड सी लॉस को कम करने के कार्य फीडर मीटरिंग एवं कन्ज्यूमर मीटरिंग तथा उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। अवशेष कार्यों को चालू वर्ष में 50 प्रतिशत तथा आगामी वर्ष में 50 प्रतिशत पूर्ण करना लक्षित है।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

- ऊर्जा के परम्परागत स्रोत सीमित हैं और उनके दोहन से पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या जुड़ी है। इसके दृष्टिगत अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है।

- कृषि के क्षेत्र में प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों को सिंचाई हेतु अनुदान पर सोलर पम्प स्थापित कर लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 10000 सोलर पम्पों की स्थापना करायी जा चुकी है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के साथ–साथ कक्षाओं में पंखों की व्यवस्था सोलर आर0ओ0 वाटर संयंत्रों की स्थापना की योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में अब तक 452 सोलर आर0ओ0 वाटर संयंत्रों की स्थापना करायी गयी है।

- ऊर्जा संरक्षण से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु ''स्टेट एनर्जी कन्जर्वेशन फण्ड'' की स्थापना की गयी है। उत्तर प्रदेश में यूपीनेडा को ऊर्जा संरक्षण के कार्यों के लिए स्टेट डेजिगनेटेड एजेन्सी (एस0डी0ए0) घोषित किया गया है, जिसके तहत यूपीनेडा द्वारा प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

- वित्तीय वर्ष 2017–18 में निर्माण कार्यों हेतु रु0 940.47 करोड़ की व्यवस्था की जा रही है, जिसके अन्तर्गत नवसृजित जनपदों में 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालयों की स्थापना की जायेगी। 17922 उपकेन्द्र भवन निर्मित कराये जा चुके हैं तथा 1583 निर्माणाधीन हैं। अवशेष 1016 उपकेन्द्रों के भवन निर्माण

राज्य बजट/एन0एच0एम0 से कराये जाने हेतु भूमि उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्थापित 118 पुरुष/संयुक्त/अन्य चिकित्सालय तथा जिला महिला चिकित्सालय 55 हैं तथा 20521 उपकेन्द्र, 3621 प्राथ0 स्वा0 केन्द्र, 820 सामु0 स्वा0 केन्द्र, प्रदेश के 75 जनपदों के 822 विकास खण्डों में स्थापित है तथा 33 ट्रामा सेन्टर स्थापित हो रहे हैं एवं 26 क्रियाशील हैं। राष्ट्रीय बधिरता बचाव एवं रोकथाम कार्यक्रम के अन्तर्गत कान की बीमारियों की जटिल एवं नाजुक माइक्रो सर्जरी द्वारा उपचार की सुविधा प्रदेश सरकार के माध्यम से विकसित की जा रही है। जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्रत्येक जिले के विभिन्न स्तर के स्वास्थ्य इकाईयों पर उपलब्ध कराया जायेगा।

- नेशनल प्रोग्राम फार हेल्थ केयर आफ द एल्डरली (एन0पी0एच0सी0ई0) कार्यक्रम के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य के उत्थान, बचाव, उपचार एवं पुनर्वास हेतु सेवायें उपलब्ध करायी जायेंगी। क्षय रोग के प्रभावी नियंत्रण एवं उपचार हेतु माइक्रोस्कोपिक केन्द्र तथा औषधि उपलब्ध कराये जाने के लिए अति निकट डॉट्स केन्द्र स्थापित किये गये हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सभी राजकीय चिकित्सालयों में चौबीस घण्टे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रत्येक चिकित्सालय में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रत्येक चिकित्सालय में विद्युत फीडर का निर्माण कराया जा रहा है। प्रदेश के चिकित्सालयों में भर्ती रोगियों की गम्भीर स्थिति होने पर अथवा अन्य कारणों से रोगी की जीवनरक्षा हेतु उच्चस्तरीय चिकित्सा इकाई में तत्काल रोगी को सन्दर्भित किये जाने हेतु कुल 150 आधुनिक जीवन रक्षक प्रणाली युक्त एम्बुलेन्स का संचालन प्रारम्भ किया जा रहा है। 100 और एम्बुलेंसों की मांग भारत सरकार को प्रेषित की गयी है तथा 108 एम्बुलेंस सेवा के अन्तर्गत 1,488 एम्बुलेंस क्रियाशील हैं तथा कॉल करने पर 15 मिनट के भीतर एम्बुलेंस दूर–दराज के इलाकों तक पहुंचायी जायेंगी।
- राज्य सरकार प्रदेश के गरीब परिवारों के स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। प्रदेश के समस्त बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय कार्डधारकों, मनरेगा श्रमिकों, रिक्शा चालकों एवं स्वच्छकारों के परिवारों, जिनकी अनुमानित संख्या 1.2 करोड़ है, उन्हें 1,640 से भी अधिक चिन्हित बीमारियों के इलाज हेतु रु0 30,000/– तक की निःशुल्क चिकित्सीय सुविधायें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के 1500 से भी अधिक सूचीबद्ध चिकित्सालयों के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेंगी। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में सुपर स्पेशिलिटी कार्डियोलॉजी (हृदय रोग) चिकित्सालय की स्थापना पी0पी0पी0 मोड पर लखनऊ स्थित चकगंजरिया फार्म में प्रक्रियाधीन है।
- आम जनता की सुविधा के लिए ए0ई0एस0/जे0ई0, स्वाईन फ्लू, हैजा, दस्त, गलाघोंटू, कालीखांसी, टेटनस, खसरा, चिकिन पॉक्स, निमोनिया, टायफॉयड, हिपेटाईटिस–ए0, बी0, सी0, डी0 एवं ई0, कोरोना वायरस आदि गम्भीर संक्रामक रोगों के रोकथाम हेतु महानिदेशालय स्तर पर 24×7 अवधि का कन्ट्रोल रूम

स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से त्वरित निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। जनशिकायतों को दूर करने के लिए विभाग में टोल फ्री नम्बर 18001805145 की व्यवस्था की गयी है।

- सभी अस्पतालों में प्रसव कक्ष को अत्याधुनिक बनाया जायेगा एवं संस्थागत प्रसव कराने वाली गर्भवती महिलाओं को 'गारेंटेड कैशलेस डिलेवरी' सेवा प्रदान की जायेगी। हर ब्लाक में जेनरिक दवा देने वाले दवाखाने शुरू किये जायेंगे। प्रदेश की जनता को राजकीय चिकित्सालयों में एक्स–रे, अल्ट्रासाउण्ड एवं पैथालोजी जांचों की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जा रही है।
- प्रदेश के समस्त जनपदों में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को 09 जानलेवा बीमारियों (पोलियो, टी0बी0, गलाघोंटू, टिटनेस, काली खांसी, हैपेटाइटिस–बी, निमोनिया, जे0ई0 एवं खसरा) से बचाव तथा गर्भवती महिलाओं को टिटनेस से बचाव हेतु नियमित रूप से निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है।

नियोजन विभाग

राज्य आय के त्वरित अनुमान के अनुसार प्रदेश की विकास दर स्थिर (2011–12) मूल्यों पर वर्ष 2015–16 में 7.3 प्रतिशत तथा अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2016–17 में 7.4 प्रतिशत आंकलित हुई है। राज्य आय के त्वरित अनुमान के अनुसार प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2015–16 में रु0 47,496 तथा अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2016–17 में रु0 53,477 आंकलित हुई है। बार्डर एरिया डेवलपमेण्ट कार्यक्रम भारत सरकार की सहायता से वर्ष 1999 से संचालित है। नेपाल सीमा से सटे 07 जनपदों के 21 सीमावर्ती विकास खण्ड योजना के अन्तर्गत आच्छादित है। वर्ष 2016–17 में भारत सरकार से कुल 38 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है। वर्ष 2017–18 के लिए लेखानुदान के अन्तर्गत कुल 55 करोड़ रुपये की धनराशि प्राविधानित है।

बुन्देलखण्ड पैकेज उत्तर प्रदेश के 07 जनपदों यथा झांसी, ललितपुर, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा तथा चित्रकूट में लागू किया गया है। इन क्षेत्रों में मल्टी सेक्टोरल एप्रोच के आधार पर विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है। पैकेज के अन्तर्गत अनेक महत्वपूर्ण कार्य कराये जा रहे हैं जैसे चेक डैम निर्माण, डग/ब्लास्टकूपों का निर्माण, ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं, कृषि विपणन विभाग के अन्तर्गत रिन एवं विशिष्ट मण्डी निर्माण कार्य, स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का वितरण, बकरी इकाईयों का वितरण आदि। इन संचालित कार्यक्रमों का एक उद्देश्य बुन्देलखण्ड के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाना और आय में वृद्धि करना भी है।

लोक सेवा प्रबन्धन विभाग

उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 की धारा 3 में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावानुसार 31 विभागों की 139 तथा समस्त विभागों की 10 सेवायें अर्थात् कुल 149 सेवायें अधिसूचित की जा चुकी हैं। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत जनसामान्य से प्राप्त आवेदन–पत्रों का समयबद्ध रूप से निस्तारण सुनिश्चित करने एवं अधिसूचित सेवाओं का प्रत्येक स्तर तक व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु

समस्त प्रशासकीय विभागों/निदेशक, सूचना निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ/मण्डलायुक्त/जिलाधिकारियों से अनुरोध किया जा चुका है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 में क्रियान्वित की जाने वाली योजनायें

आगामी वित्तीय वर्ष में प्रदेश में रेशम उद्योग के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, समाज के निर्बल वर्गों एवं भूमिहीनों को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के साधन सुलभ कराये जाने हेतु रेशम विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में विभिन्न योजनायें शुरू करने का लक्ष्य है।

गृह विभाग

मेरी सरकार प्रदेश में कानून का राज स्थापित कर पूर्णतया भयमुक्त एवं शान्तिमय वातावरण सृजित कर प्रदेश को सर्वांगीण विकास एवं खुशहाली के पथ पर अग्रसर करने हेतु कृत संकल्पित है तथा इसके लिए विगत दिनों एन्टी भू–माफिया टास्क फोर्स तथा एन्टी रोमियो स्क्वाड जैसी नवाचारों के माध्यम से अध्ययनरत छात्राओं, कामकाजी महिलाओं तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर आने–जाने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करने तथा भू–माफिया एवं अराजकतत्वों द्वारा बलात् भूमि एवं भवन पर कब्जे से पीड़ित नागरिकों को राहत देने के लिए सघन अभियान संचालित किया जा रहा है जिसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं।

प्रभावी अपराध नियंत्रण तथा अपराधियों को कानून के दायरे में लाकर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश पुलिस बल के सभी स्तर के अधिकारियों/कर्मियों को दिये गये तथा इसका परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक से लेकर पुलिस महानिदेशक स्तर तक नियमित एवं निरन्तर अनुश्रवण सुनिश्चित कराया जायेगा इसके अतिरिक्त थानों में शत–प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर उन पर त्वरित/समयबद्ध एवं प्रभावी वैधानिक कार्यवाही करते हुए गुणात्मक अभियोजन सुनिश्चित करना पुलिस की कार्य प्रणाली का अनिवार्य अंग बनाया जा रहा है। समयबद्ध ढंग से भर्ती का अभियान चलाकर पुलिस बल में व्याप्त आरक्षियों, उपनिरीक्षकों, निरीक्षकों एवं समकक्ष कर्मियों की कमी को पूरा करने का कार्य अत्यन्त निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से सुनिश्चित करने की कार्यवाही गतिमान है।

मेरी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस आपातकालीन प्रबन्धन प्रणाली यू0पी0 100 सेवा की पहुंच को बढ़ाने तथा न्यूनतम 15 मिनट में पीड़ित की मदद में पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इसमें गुणात्मक सुधार किये जा रहे हैं तथा उत्तर प्रदेश पुलिस बल के लिए आवश्यक अवस्थापना सहित नये थानों की स्थापना तथा भवन निर्माण, आधुनिक अस्त्र–शस्त्र गतिशीलता वृद्धि हेतु अधिकाधिक वाहनों का क्रय तथा कार्यरत कर्मियों के आवास, उनके कल्याण एवं उनके आश्रितों की समुचित शिक्षा एवं स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एकीकृत शिक्षा एवं स्वास्थ्य संकुल स्थापित किया जाना विचाराधीन है।

वन विभाग

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8.93 प्रतिशत है। वनावरण एवं वृक्षावरण हेतु प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आगामी वर्षों में सामाजिक वनीकरण को बढ़ावा दिया जायेगा।

वृक्षारोपणों में मृदा एवं जलवायु की उपयुक्तता के आधार पर आम, जामुन, महुआ, इमली, आंवला, हर्र, बहेड़ा, बेर, कटहल तथा शहतूत जैसी फलदार प्रजातियों को रोपण किये जाने की योजना है।

पर्यावरण विभाग

प्रदेश सरकार जन स्वास्वाथ्य की सुरक्षा के उद्देश्य एवं प्रदूषण की गम्भीरता के दृष्टिगत प्रदूषण जनित समस्याओं का प्रभावशाली ढंग से निदान कराने हेतु कटिबद्ध है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में पर्यावरणीय समस्याओं के निदान में जन सहभागिता के लिए व्यापक स्तर पर पर्यावरणीय जागरूकता उत्पन्न करने हेतु विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवसों के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन तथा समाचार–पत्रों एवं जन प्रसारण के अन्य विभिन्न माध्यमों से पर्यावरणीय संदेशों का प्रसारण एवं पर्यावरण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश में फसल कटाई के उपरान्त कृषि अवशेषों को खेतों में जलाये जाने के फलस्वरूप मानव जीवन, अन्य प्राणियों एवं भूमि की उर्वरा शक्ति पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव तथा इसके फलस्वरूप होने वाले वायु प्रदूषण के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा फसल कटाई के उपरान्त कृषि अवशेषों को खेतों में जलाये जाने को प्रतिबन्धित कर दिया गया है। मानव जीवन, अन्य प्राणियों, पौधों आदि पर पड़ने वाले पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभावों को नियंत्रित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सभी प्रकार की प्लास्टिक कैरी बैग्स के विनिर्माण, आयात, विक्रय, भण्डारण, ढुलाई को प्रतिबन्धित कर दिया गया है। गंगा नदी को औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा कार्य योजना तैयार की जा रही है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि गंगा को निर्मल बनाया जाय। इसके अतिरिक्त व्यापक स्तर पर पर्यावरणीय चेतना के प्रचार–प्रसार की योजनायें प्रस्तावित हैं।

खाद्य तथा रसद/उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट–माप विभाग

1–रबी विपणन वर्ष 2016–17 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य रु0 1625 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है, इसके साथ प्रदेश सरकार 10 रु0 प्रति कुन्तल ढुलाई आदि के लिए अतिरिक्त रूप से देगी। प्रदेश सरकार द्वारा मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत 80 लाख मी0 टन गेहूं क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2–भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। भारत सरकार के एण्ड–टू–एण्ड कम्प्यूटरीकरण कार्य के अन्तर्गत प्रदेश स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के राशन कार्डों के लाभार्थियों के कुल चयनित लाभार्थी 3.41 करोड़ का डाटा डिजिटलीकरण किया जा चुका है। उचित दर कोटेदार का लाभांश रु0 70.00 प्रति कुन्तल कर दिया गया है।

3–उपभोक्ताओं को शीघ्र न्याय प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 9 में त्रिस्तरीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरणों की स्थापना का उपबन्ध किया गया है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक राज्य की राजधानी में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं प्रत्येक जिले में कम से कम एक जिला

उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच गठित किये जाने का प्रावधान है। वर्तमान समय में प्रदेश में राज्य आयोग में कुल पीठों की संख्या 5 है। राज्य आयोग में प्रारम्भ से माह फरवरी, 2017 तक 81032 मामले (वाद एवं अपीलें आदि) दायर हुए हैं जिसके सापेक्ष 54884 मामले निस्तारित किये गये हैं।

4–उ0 प्र0 कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा वर्तमान में 161 डिपो संचालित किये जा रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में निगम द्वारा 400.00 करोड़ के डिपों व्यवसाय किये जाने का अनुमान है। मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत 25564.25 मी0 टन गेहूं तथा 108612.36 मी0 टन धान क्रय किया गया है। संस्थागत व्यवसाय के अन्तर्गत लगभग रु0 57.15 करोड़ का व्यवसाय किये जाने का अनुमान है। उक्त के अतिरिक्त निगम द्वारा प्रदेश में विभिन्न जेलों में खाद्यान्न आपूर्ति, दवा व्यवसाय भी किया जा रहा है।

5–उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम द्वारा प्रदेश के 17 जनपदों में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा तथा अन्त्योदय योजना एवं मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत गेहूं, चावल तथा चीनी के उठान एवं सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को वितरण किये जाने संबंधी कार्य तथा शासन की मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत गेहूं/धान खरीद का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही लखनऊ में कुकिंग गैस की एक एजेन्सी का संचालन भी किया जा रहा है।

आयुष विभाग

उत्तर प्रदेश सरकार आयुष चिकित्सा पद्धति के माध्यम से प्रदेश की ग्रामीण एवं शहरी जनता को आयुष विद्या (आयुर्वेद, होम्योपैथ एवं यूनानी) के माध्यम से दुष्प्रभाव रहित चिकित्सा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से इस पद्धति को और अधिक सुलभ व जनोपयोगी बनाने हेतु प्रतिबद्ध है। आयुष विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में 2104 आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 254 यूनानी एवं 1575 होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज संचालित है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथिक विभाग द्वारा लक्ष्य निम्नवत् है :–

1–राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, वाराणसी में 03 विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा तथा राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ में आदर्श हर्बल गार्डेन की स्थापना की जायेगी।

2–जनपद बरेली में 2.28 हेक्टेयर भूमि पर नवीन राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज स्थापित किया जायेगा एवं प्रदेश के समस्त जनपदों में एक–एक योगा वेलनेस सेन्टर की स्थापना की जायेगी।

आयुष (होम्योपैथिक) विभाग

जनपद गोरखपुर एवं अलीगढ़ में 02 नये राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों को स्थापित किये जाने का निर्णय गत पंचवर्षीय योजना में लिया गया है, जिसके अनुसार उक्त राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों का निर्माण कराया जा रहा है, रा0 अलीगढ़ होम्योपैथिक मेडिकल कालेज का लगभग 93 प्रतिशत तथा गोरखपुर कालेज का 60 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

पर्यटन विभाग

1–उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश के समन्वित एवं नियोजित पर्यटन विकास व प्रचार–प्रसार हेतु निम्नलिखित पर्यटन परिपथों का चिन्हांकन किया गया है :– ब्रज परिपथ, बुन्देलखण्ड परिपथ, बौद्ध परिपथ, विन्ध्य परिपथ, अवध परिपथ, वन ईको एवं साहसिक पर्यटन परिपथ, जल विहार परिपथ, हेरिटेज आर्क परिक्षेत्र, महाभारत परिपथ, रामायण परिपथ, जैन परिपथ, सूफी परिपथ, स्वतंत्रता संग्राम परिपथ, क्राफ्ट कुजीन एवं कल्चरल ट्रेल परिपथ। उत्तर प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण स्मारकों तथा सभी धर्मों के महत्वपूर्ण स्थलों यथा–ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, बिठूर, कुम्भनगरी इलाहाबाद, अयोध्या, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से जुड़े स्थल आदि के कारण इस प्रदेश में पर्यटन के विकास की अपार सम्भावनायें हैं। बुद्धिस्ट सर्किट के अन्तर्गत चिन्हित 10 महत्वपूर्ण स्थानों में से 6 महत्वपूर्ण स्थान उत्तर प्रदेश में हैं। वर्ष 2016 में बुद्धिस्ट सर्किट में 6.63 लाख विदेशी पर्यटक आये। उत्तर प्रदेश में बनारस को प्राचीनतम् नगरी माना जाता है और वहां पर बड़ी संख्या में देशी–विदेशी पर्यटक आते हैं।

2–पर्यटन विकास के अन्तर्गत मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या, प्रयाग, विन्ध्याचल, नैमिषारण्य, चित्रकूट, कुशीनगर और वाराणसी आदि में सांस्कृतिक पर्यटन सुविधाओं का विकास कर प्रदेश में सांस्कृतिक पर्यटन सर्किट बनाये जायेंगे व उनमें अवस्थापना सुविधाओं जैसे राम सर्किट, कृष्ण सर्किट, बुद्ध सर्किट आदि का विकास किया जायेगा। पर्यटकों की जानकारी, बुकिंग सहायता आदि के लिए एक समर्पित 24×7 राज्य पर्यटन हेल्पलाइन की स्थापना की जायेगी। सभी तीर्थ स्थलों को 4 लेन राजमार्ग के साथ जोड़ा जायेगा। इसके अतिरिक्त पर्यटन विकास के लिए महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं का विकास आवश्यक है। उदाहरणतः हेरिटेज आर्क के अन्तर्गत आगरा में मुगल म्यूजियम की स्थापना, आगरा में ताज ओरिएन्टेशन सेन्टर का निर्माण, मथुरा–वृन्दावन सर्किट पर अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा क्षेत्र में स्थित प्राचीन कुण्डों का पुनरुद्धार। उक्त के अतिरिक्त विश्व बैंक सहायतित प्रो–पुअर पर्यटन विकास परियोजना एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। 150 मिलियन यू0एस0 डालर (प्रथम चरण) वाली इस परियोजना में विश्व बैंक की भागीदारी 70 प्रतिशत तथा प्रदेश सरकार की भागीदारी 30 प्रतिशत है। इस परियोजना के माध्यम से प्रदेश के तीन प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों आगरा, ब्रज क्षेत्र तथा बौद्ध परिपथ के अन्तर्गत पर्यटन स्मारकों/स्थलों पर मूलभूत पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं का सृजन तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु रोजगारपरक दक्षता/कौशल विकास कार्यक्रम संचालित कर स्थानीय लोगों के गरीबी उन्मूलन किये जाने की योजना है।

संस्कृति विभाग

संस्कृति विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में पं0 दीन दयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी समारोह के अन्तर्गत अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जाने की महत्वपूर्ण योजना बनायी है तथा पूरे प्रदेश में लोक कला के संरक्षण हेतु कलाकारों एवं कला रूपों का चिन्हीकरण कर प्रमुख मण्डलीय मुख्यालयों पर लोक कला उत्सव का आयोजन कराया जायेगा।

मथुरा में ''गीता शोध संस्थान'' तथा ''कृष्ण संग्रहालय'' की स्थापना के साथ ही कला एवं युवा प्रतिभाशाली कलाकारों को पं0 दीनदयाल उपाध्याय बाल एवं युवा प्रतिभाशाली कलाकार छात्रवृत्ति प्रदान करने की भी योजना को मूर्त रूप प्रदान किया

जायेगा। लोक कलाकारों के उन्नयन के लिए वाद्य यंत्रों के क्रय हेतु अनुदान दिये जाने की भी योजना है। क्रान्ति दिवस तथा कबीर जयन्ती का आयोजन विभाग द्वारा किया जायेगा तथा राम कथा संग्रहालय में संरक्षित गुमनामी बाबा से संबंधित दस्तावेजों को डिजिटाइज किया जायेगा। गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, मथुरा, झांसी तथा अन्य क्षेत्रों में लोक कला एवं संस्कृति की विभिन्न विधाओं की प्रस्तुतिपरक कार्यशालाओं के आयोजन से कलाकार एवं संस्कृति को भी संरक्षित करने का उपक्रम विभाग द्वारा किया जायेगा। इसी क्रम में गोरखपुर में 'लोक मल्हार' तथा अयोध्या में 'सावन झूला' के विशिष्ट कार्यक्रमों के भी आयोजन किये जाने का संकल्प है।

न्याय विभाग

1–गोमतीनगर, लखनऊ में मा0 उच्च न्यायालय के लखनऊ खण्डपीठ के निर्माणाधीन नवीन भवन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–2017 में रु0 140.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है। नवीन भवन में न्यायिक कार्य प्रारम्भ हो गया है।

2–प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2016–2017 में कुल रु0 102.00 करोड़ की स्वीकृति निर्गत की गयी है।

3–अधीनस्थ न्यायालयों के लिए निर्वाध विद्युत आपूर्ति हेतु स्वतंत्र विद्युत फीडर की स्थापना के लिए वित्तीय वर्ष 2016–2017 में रु0 75.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

4–अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं अन्य सुरक्षा उपकरणों हेतु कुल 72 जनपदों के लिए वित्तीय वर्ष 2016–2017 में कुल रु0 27.50 करोड़ की स्वीकृति निर्गत की गयी।

5–जनपद इलाहाबाद एवं बांदा में अधिवक्ता चैम्बर के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2016–2017 में कुल रु0 04.27 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

6–प्रदेश में शीघ्र एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के दृष्टिगत 500 अतिरिक्त न्यायालयों तथा 111 पारिवारिक न्यायालयों का सृजन किया गया है।

श्रम विभाग

श्रम विभग श्रमिकों के हित संरक्षण के साथ ही त्वरित औद्योगिक विकास के लिए सम्भव सहयोग की समन्वयात्मक कार्य प्रणाली अपनाता रहा है, ताकि प्रदेश में यथा सम्भव औद्योगिक शान्ति का वातावरण रहे व प्रदेश के उद्योगों में निवेश के अनुकूल वातावरण बनाये रखने की ओर समुचित ध्यान देने के साथ ही समाज के अपेक्षाकृत निर्बल वर्ग के श्रमिकों के हित सम्बर्द्धन के प्रयास भी जारी रहे।

प्रदेश के 52 जनपदों में स्थापित शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य समाज के निर्बल वर्गो यथा अनुसूचित जाति/जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के बेरोजगारों को कम्प्यूटर, आशुलिपि, भाषा, सचिवीय पद्धति एवं सामान्य ज्ञान में प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी सेवायोजनकता में वृद्धि करना है।

महानिदेशक, रोजगार, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत शत–प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में विभाग द्वारा प्रदेश में 07 माडल कैरियर सेन्टर स्थापित किये गये हैं। वर्ष 2017–18 में प्रदेश में संचालित माडल कैरियर सेन्टर द्वारा सिविल सेवा/अन्य शासकीय सेवाओं हेतु आभासी साक्षात्कार का आयोजन किया जाना है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत वर्तमान में समूचे उत्तर प्रदेश में कुल 13.20 लाख बीमांकित सम्बद्ध है। योजना से आच्छादित बीमांकितों एवं उनके आश्रितजनों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु क0रा0बी0 योजना के अन्तर्गत 94 एलोपैथिक, 11 होम्योपैथिक तथा 11 आयुर्वेदिक औषधालय तथा 11 एलोपैथिक चिकित्सालय संचालित है। चिकित्सा देखरेख पर हुए कुल व्यय का 7/8 भाग की प्रतिपूर्ति निर्धारित सीलिंग के अन्तर्गत क0रा0बी0 निगम, नई दिल्ली द्वारा राज्य सरकार को की जाती है।

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग

प्रदेश में तत्काल बालू/मौंरग की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु उ0 प्र0 खनिज परिहार नियमावली, 1963 के नियम 70 में अधिसूचना दिनांक 13.04.2017 द्वारा संशोधन कर प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों से बालू/मौंरग के परिवहन की व्यवस्था की गयी है। निर्माण कार्यों में उपखनिज की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के प्रयोजन से सरकार द्वारा अल्प अवधि (अधिकतम 06 माह) के लिए अनुज्ञा पत्र ई–टेण्डर के माध्यम से स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है, जिसके अनुक्रम में शासनादेश दिनांक 22.04. 2017 निर्गत किया जा चुका है। प्रदेश के समस्त जनपदों में ई–टेण्डर की प्रक्रिया की कार्यवाही दिनांक 19 मई, 2017 तक पूर्ण कर ली जायेगी।

खनन संक्रिया से प्रभावित क्षेत्रों/व्यक्तियों के कल्याण हेतु विकास योजनायें को क्रियान्वित किये जाने हेतु प्रदेश के प्रत्येक जनपद में अधिसूचना दिनांक 25.04.2017 द्वारा जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास के स्थापना की गयी है। इस ट्रस्ट के कार्यों एवं दायित्वों को परिभाषित करने हेतु नियमावली के प्रख्यापन की कार्यवाही की जा रही है।

बालू/मौंरग के दीर्घकालीन अवधि के खनन पट्टे ई–टेण्डर/ई–ऑक्शन के माध्यम से स्वीकृत किये जाने हेतु भारत सरकार व अन्य राज्यों की खनन नीति का अध्ययन कर एक खनन नीति तैयार करने हेतु विशेष सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन दिनांक 18.04.2017 को किया गया है। समिति की संस्तुति प्राप्त कर मा0 मंत्रि–परिषद् के अनुमोदन से स्वच्छ एवं पारदर्शी खनन नीति का निर्धारण किया जायेगा।

खनन कार्यों से पर्यावरण को होने वाली सम्भावित क्षति को रोकने के उद्देश्य से सभी प्रकार की खनन संक्रियाओं में पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अनिवार्यता लागू की गयी है। राज्य सरकार की यह नीति होगी की खनन उद्योग में लगे हुए माफियाओं को प्रत्येक दशा में इससे बाहर रखा जाये तथा उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर उपखनिज प्राप्त हो, जिससे प्रदेश में सर्वाधिक निर्माण कार्यों/भवन इत्यादि के निर्माण सुगमता एवं

कम लागत के आधार पर हो सकें। राज्य सरकार का यह भी प्रयास होगा कि ऐसी नीति बनायी जाय जिससे कृषि योग्य एवं वन भूमि से हट कर अन्य उपयुक्त भूमि पर ही राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वैज्ञानिक ढंग से खनन हो साथ ही उसकी उपलब्धता बाजार में युक्ति–युक्त कीमत पर सामान्य जन को सुगमता से उपलब्ध हो। अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स/कार्यबल को सक्रिय एवं उत्तरदायी बनाया गया है।

राजस्व विभाग

भूमि सुधार कार्यक्रम–कृषि एवं आवास पट्टे में सभी गरीबों को समानता के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में कृषि योग्य भूमि पट्टे पर आवंटित करने के लिए संघ के सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा में रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई हो, ऐसे व्यक्ति के परिवारजन को प्रथम वरीयता एवं संघ के सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा में रहते हुए पूर्णतया विकलांग व्यक्ति को द्वितीय वरीयता तथा इसके उपरान्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के भूमिहीन कृषि श्रमिक या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों से उच्च वरीयता प्रदान की गयी है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 64(1) में आबादी स्थलों के आवंटन के लिए निर्धारित वरीयता क्रम में प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को अधिमान दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

आम आदमी बीमा योजना–प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किये जाने की दृष्टि से आम आदमी बीमा योजना लागू की है। योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले सभी भूमिहीन परिवारों के 18 से 59 वर्ष तक की आयु के मुखिया सदस्य पात्र हैं तथा मुखिया सदस्य की प्रीमियम बीमा राशि 200 रुपये वार्षिक है, जिसका 50 प्रतिशत प्रीमियम राज्य सरकार एवं 50 प्रतिशत प्रीमियम केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोष से वहन किया जाता है।

राजस्व भवनों का निर्माण–प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के आवासीय तथा अनावासीय भवनों एवं नवसृजित तहसीलों, जिनके अपने कार्यालय/आवासीय भवन नहीं है, के निर्माण की योजना संचालित है। वर्तमान में मण्डलायुक्त, कलेक्ट्रेट व तहसीलों को सौर ऊर्जा से वैकल्पिक रूप से ऊर्जान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण–भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय भू–अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एन0एल0आर0एम0पी0) के अन्तर्गत भू–मानचित्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य प्राथमिकता पर सम्पन्न कराया जा रहा है। पायलट आधार पर प्रथम चरण में पांच जनपदों में भू–मानचित्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य सम्पादित कराया गया तथा सम्बन्धित जनपदों के समस्त ग्रामों के उपलब्ध भू–मानचित्रों को स्कैन एवं डिजिटाइज्ड कर एन0आई0सी0 द्वारा तैयार किये गये ''भू–नक्शा'' साफ्टवेयर से लिंक किया जा चुका है। जनपद स्तर पर ''भू–लेख'' के डाटा से पुनः मिलान करवाया जा रहा है।

राजस्व न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण–इसके अन्तर्गत परिषद् द्वारा ''राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली'' नाम से एक नये पोर्टल का विकास कराया गया है। इस साफ्टवेयर में आम जनता/अधिवक्ता, पीठासीन अधिकारी व प्रवर न्यायालयों के

अवलोकन एवं कार्य दिवस वार कार्यों के कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है।

खतौनी का कम्प्यूटरीकरण–प्रदेश के समस्त कृषकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार की शत–प्रतिशत वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्रदेश की तहसीलों के ग्रामों की खतौनियों के अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत किया गया तथा हस्तलिखित खतौनी उद्धरण की व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। कृषकों एवं हितबद्ध व्यक्तियों को उनके अभिलेखों को देखने की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कम्प्यूटरीकृत खतौनी को इन्टरनेट पर ीजजचरूध्ध्ीनसमीण् नचण्दपबण्पदण् की साइट पर भी उपलब्ध करा दिया गया है।

एण्टी भू–माफिया टास्क फोर्स का गठन व अन्य योजनायें–एण्टी भू–माफिया टास्क फोर्स का गठन कर अभियान चलाकर कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत केन्द्र व राज्य सरकार के 50–50 प्रतिशत अंश से लेखपालों को स्मार्ट फोन वितरण किया जाना। प्रत्येक गाटे से संबंधित लम्बित राजस्व वादों की सूचना जनसाधारण को सुलभ कराने हेतु कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में डाटा फीड कराया जाना एवं खतौनी में खातेदारों के आधार नम्बर की फीडिंग एवं मोबाइल एप के परीक्षण हेतु पायलट प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन। नामान्तरण प्रक्रिया को त्वरित एवं स्वचालित बनाने हेतु निबन्धन विभाग की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से लिंक किया जाना। 120 दिन के अभियान के दौरान अधिक से अधिक राजस्व वादों का निस्तारण तथा मासिक लक्ष्य के सापेक्ष कम से कम 30 प्रतिशत पांच वर्ष से अधिक पुराने वादों का निस्तारण किया जाना। नई राजस्व संहिता के अनुसार भू–लेख नियमावली का प्रकाशन, राजस्व निरीक्षक सेवा नियमावली में संशोधन, न्यायिक अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती/प्रोन्नति हेतु अधियाचन प्रेषण/प्रोन्नत किये जाने की प्रमुख कार्य योजना है।

उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन विभाग

उ0 प्र0 परिवहन निगम जनता को परिवहन सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु कृतसंकल्प है। वर्ष 2017–18 में निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किये गये हैं–

- प्रदेश में लगभग 38000 असेवित गांवों को मिनी बस सेवा के द्वारा शहर से 04 वर्षों में जोड़ा जाना है। अतः वर्ष 2017–18 में लगभग 9500 गांवों को शहरों से जोड़ा जायेगा।
- सभी प्रमुख बस स्टेशनों पर वाई–फाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
- तीर्थ सर्किट के अन्तर्गत वाराणसी, फैजाबाद, अयोध्या, नैमिषारण्य, चित्रकूट, विन्ध्यनगर, कुशीनगर, गोला गोकर्णनाथ, मथुरा, गोरखपुर व देवाशरीफ में बस स्टेशनों का उच्चीकरण/ नवनिर्माण किया जायेगा।
- वाराणसी एवं गोरखपुर बस स्टेशनों को माडल बस स्टेशन के रूप में विकसित किया जायेगा।
- पर्यटक सर्किट के अन्तर्गत आगरा एवं फतेहपुर सीकरी के बस स्टेशनों का उच्चीकरण किया जायेगा।
- आर0एफ0आई0डी0 फास्ट टैग द्वारा निगम की बसों का नेशनल हाईवे टोल का भुगतान किया जायेगा।

- मोबाइल एप्प ''ट्राकमाईबस'' द्वारा निगम की बसों के रियल टाइम ट्रैकिंग की व्यवस्था की जायेगी।
- निगम की बसों के यात्रियों से फीडबैक एवं जनता से सीधे संवाद की व्यवस्था स्थापित की जायेगी।
- निगम के 73 डिपो में आटोमेटेड फ्यूल मैनेजमेन्ट सिस्टम लागू किया जाना।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

वर्ष 2017–18 के दौरान भी केन्द्र द्वारा वर्तमान सरकार द्वारा घोषित किये गये लोक कल्याण संकल्प पत्र के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड के सूखाग्रस्त इलाकों तक सिंचाई योजनाओं को पहुंचाने हेतु बुन्देलखण्ड के अतिदोहित, दोहित एवं अर्द्ध दोहित विकास खण्डों में सिंचाई, पेयजल एवं भूजल सम्भावनाओं हेतु वर्षा जल के कृत्रिम पुनर्भरण व जल संचयन हेतु विभिन्न संरचनाओं के लिए उपयुक्त स्थलों के चयन का कार्य किया जायेगा। प्रदेश के समस्त अपघटित भूमियों एवं परती भूमियों के चिन्हांकन का कार्य भी केन्द्र द्वारा सम्पादित किया जायेगा ताकि भूमि अधिग्रहण के क्षेत्र में सहयोग प्रदान किया जा सके एवं चिन्हित परती/अपघटित भूमि का कृषि/वनीकरण/भू–जल रिचार्ज हेतु उपयुक्तता भी ज्ञात की जा सके।

पर्यावरण के क्षेत्र में भी गंगा नदी के किनारे स्थित कानपुर, इलाहाबाद तथा वाराणसी शहरों में जल गुणवत्ता हेतु अध्ययन किया जायेगा एवं क्षेत्र के आस–पास उद्योगों से उत्पन्न होने वाले औद्योगिक जलीय प्रदूषण का चिन्हीकरण भी किया जायेगा, ताकि प्रदूषण से उत्पन्न प्रभाव को कम किया जा सके। बरेली नगर में ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण हेतु उपयुक्त स्थलों का चयन किया जायेगा ताकि सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के लिए प्रभावी तथा पर्यावरण हितैषी व्यवस्था सुनिश्चित करने में अभूतपूर्व सहयोग प्राप्त हो सके। प्रदेश में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ एवं सूखे के अनुश्रवण का कार्य किया जायेगा ताकि भविष्य में क्षति निम्नीकरण की दिशा में उपयोगी सूचनायें सृजित की जा सकें।

प्रदेश के मध्य क्षेत्र में लखनऊ एवं पूर्वी क्षेत्र में स्थित गोरखपुर जनपदों में, सतही जल स्रोतों की वास्तविक स्थिति एवं इसमें आये कालिक परिवर्तनों का अध्ययन भी किया जायेगा। लिडार तकनीक की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए मोबाइल लिडार तकनीक के उपयोग से मथुरा, काशी, झांसी एवं गोरखपुर जनपदों में रोड चौड़ीकरण हेतु सर्वेक्षण कार्य एवं बैथिमेट्रिक तकनीक द्वारा प्रदेश की चयनित नदियों एवं जलाशयों में जमा हुई सिल्ट का आंकलन किया जायेगा ताकि जटिल कार्य सुगमता से संपादित किये जा सके। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र के समुचित विकास हेतु गोरखपुर, वाराणसी एवं फैजाबाद जनपदों में सरकारी स्कूलों और कालेजों की समस्त सूचनायें एकत्रित कर जी0आई0एस0 डाटा बेस तैयार किया जायेगा, जिससे शिक्षा संस्थानों का विस्तार एवं आधुनिकीकरण हेतु योजनायें बनायी जा सकें।

मा0 सदस्यगण मैंने आपके सम्मुख सरकार की प्रमुख नीतियों और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूप रेखा प्रस्तुत की है। शीघ्र ही वित्तीय वर्ष 2017–18 का आय–व्ययक आयेगा और कतिपय महत्वपूर्ण विधेयक आपके विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे जिन्हें पारित करने की आपसे अपेक्षा की जायेगी।

मा0 सदस्यगण मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश की आम जनता के हित में सभी मा0 सदस्यगण मेरी सरकार का सहयोग कर जनाकांक्षाओं को पूरा करने में योगदान करेंगे साथ ही इस सदन की गरिमा व पवित्रता को बनाये रखेंगे। मेरी सरकार जन कल्याण के लिए समर्पित है और सुविचारित नीतियों से उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां से समृद्धि और विकास के अनेक पथ निकलते हैं।,

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अब मैं अन्तिम पैरा पढ़ देता हूं।

मैं आशा करता हूं कि प्रदेश को विकास के पथ पर तेजी से आगे ले चलने में आप सबका सकारात्मक सहयोग प्राप्त होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके स्वस्थ एवं सुखद जीवन की मंगल कामना करते हुए आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने मध्य आने और मेरी सरकार के कार्यकलापों को प्रस्तुत करने का सुअवसर प्रदान किया है।

जय हिन्द।

[उ] 12.35, सैम हिग्गिनबाटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि सैम हिग्गिनबाटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 को वापस प्राप्त हो गया।

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों को आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2016, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2016–2017 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2016–2017 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2016, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 को वापस प्राप्त हो गया, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2016 का उत्तर प्रदेश का तैंतीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2016, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2016 का उत्तर प्रदेश का चौंतीसवां अधिनियम बन गया।

सैम हिग्गिनबाटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमान्, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि सैम हिग्गिनबाटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2016 का उत्तर प्रदेश का पैंतीसवां अधिनियम बन गया।

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों को आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2016, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2016 का उत्तर प्रदेश का छत्तीसवां अधिनियम बन गया।

ख 12.37, कार्यमंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

मद सं0 5 व 6 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या 7 उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 14 मई, 2017 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 15 मई, 2017 से दिनांक 22 मई, 2017 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं–

उत्तर प्रदेश की सत्रहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र के अवसर पर विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों को सम्बोधित करने हेतु श्री राज्यपाल के आगमन पर

अपनाई जाने वाली नई प्रोटोकाल प्रक्रिया को स्वीकृत किये जाने के विषय में माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को अधिकृत किया गया।

दिनांक 15 मई, 2017 से दिनांक 22 मई, 2017 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाये–

मई, 2017

15 सोमवार **1–11.00 बजे पूर्वाह्न**

राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष श्री राज्यपाल का अभिभाषण।

2–12.30 बजे अपराह्न

1–श्री राज्यपाल के अभिभाषण का पढ़कर सुनाया जाना।

2–औपचारिक कार्य यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हो।

16 मंगलवार श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

17 बुधवार श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

18 गुरूवार श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

19 शुक्रवार (1) असरकारी दिवस (आधा दिन)।

(2) विधायी कार्य (आधा दिन)।

20 शनिवार, 21 रविवार बैठक नहीं होगी।

22 सोमवार श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

[12.39, उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर विधेयक, 2017'

श्री अध्यक्ष–

मद सं0 8 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या 9।

मुख्यमंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

मुख्यमंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 को पुरःस्थापित करता हूं।

ख**12.42**, **श्री अध्यक्ष–**

अब एक सूचना है। आज वस्तु एवं सेवा कर जिसे संक्षेप में जी0एस0टी0 कहते हैं। इसको लेकर लोक भवन में शाम 4 बजे एक गोष्ठी है जिसमें इस सदन के सभी आदरणीय सदस्यों, मा0 मंत्रियों और विधान परिषद् के मा0 सदस्यों से अनुरोध किया गया है और आप सभी मा0 सदस्य उस गोष्ठी में सादर आमंत्रित हैं। अब हम कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 12 बजकर 42 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 15 मई, 2017 ई0।

(प्रदीप कुमार दुबे)
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

'दिनांक 30–5–2017 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

पी0एस0यू0पी0–157 विधान सभा(297)–06.09.2017–813 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।